उत्तराखण्ड शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग-1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

वर्ष

2006-07

प्रतिवेदक: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

भाग-1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

(1) प्रशासनिक खण्ड

क्र०सं०	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1-	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1	1-2
2-	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1-3.2	2
3-	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1-4.2	2-4
4-	प्रभागीय आय-व्ययक	5.1 से 5.3	4
5-	प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1-6.2	4
6-	प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1 से 7.4	5-6
7-	प्रभाग की जनशक्ति	8	6
8-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	6-7
9-	सम्परीक्षा में उद्घघाटित अनियमिततायें	10.1.1	7
10-	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	7
11-	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1-2.2	7-8
12-	जिला पंचायतें, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	9
13-	निष्कर्ष	--	9
(2)	कार्यकारी खण्ड	-	10
(3)	परिशिष्ट,क,ख,ग,घ,ड.,च,छ व ज	-	41-56

1- प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित विभाग के राजाज्ञा संख्या 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराचंल में सम्मिलित कर लिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विधान उत्तरांचल राज्य पर भी इन्हें उपान्तरित किये जाने तक लागू है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा -8(3) के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर आधारित वर्ष 2005-06 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2006-07 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल में रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तदधीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथास्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं कि निधियाँ **''स्थानीय निधि'' (लोकल** फण्ड) के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रुप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रुप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के पैरा 369 ''के'' में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की और से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्यकलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रुप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदान के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही

प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिये वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था। शर्तो एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की स्थिति से प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख किया गया है।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा नियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 12 सन् 1984) जोकि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ तथा जो नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भी समान रुप से प्रभावी है, की धारा-4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष में 2006-07 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 948 थी। उप सम्परीक्षा से सम्बन्धित 932 संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** में दिये गये हैं। शेष सम्वती सम्परीक्षा एवं शतप्रतिशत लेखा परीक्षा से सम्बन्धित 16 संस्थाओं की सूची **परिशिष्ट ''क'' भाग-2** के रुप में संलग्न है।

3.2 सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट ''ख''** में दी गई है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य : -

4.1 शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल

को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-

- 1- सम्परीक्षित स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5- नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।
- 6- महालेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।
- 7- नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 8- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिये उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10- स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवशयकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11 विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठयाँ आयोजित करना।

- 12- धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 13- प्रभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 14- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 15- सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 16- उपर्युक्त स्थानीय निकायों/ संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 17- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5- <u>प्रभागीय आय-व्ययक :-</u>

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय-व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निधारित दरों पर किया जाता है, जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें परिशिष्ट ''ग'' उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।

<u>6- विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :-</u> वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपये	आरोपित सम्प० शुल्क (रु०)
1-	2006-07	1,41,27,065=00	1,16,94,790=00

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

7.1- विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :- उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा० सं० 5058/ वि०शा०स० /2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रुप में कार्यरत है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि- स्तरीय है :-

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची परिशिष्ट "घ" में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची परिशिष्ट "ड." में दी गयी है।

7.2-1- मुख्यालय स्तर :- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है, जो निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड हैं जिन्हें अपने कार्यो के साथ-साथ पदेन रुप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तराखण्ड तथा भारतीय धर्मादा सन्दान के उत्तराखण्ड वृत्त के कार्यो का भी सम्पादन करना पडता है।

7.2 -2 – मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-८ में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी संस्थाओं जैसे :- नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :- लेखा परीक्षाधीन ईकाइयाँ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। विभाग के लेखा परीक्षा कर्मी सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं प्रदेश के 13 जिलों में से अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों मं अभी तक जनपदीय कार्यालय नहीं खोले जा सके हैं। अतः निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 – राज्य स्तरीय :- शासनादेश संख्या वि०अनु० -1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्रनगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

8- विभाग की जनशाक्ति :- वर्ष 2006-07 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1-	समूह ''क''	03	01	33.33
2-	समूह ''ख''	16	07	43-75
3-	**समूह ''ग''**			
	(1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	14	10}	
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-१	04	03}	
	(3) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	82	14}	22.5
	(4) लेखा परीक्षक	20	00}	
	(5) आशुलिपिक	03	00}	
	(6) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-१	01	00}	
	(7) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-२	03	01}	
	(8) मुख्य सहायक	08	00}	47.5
	(9) प्रवर सहायक	12	12}	
	(10) कनिष्ठ सहायक	16	06}	
	(11) वाहन चालक	03	01	33.33
4-	समूह ''घ''	61	13	21.31
	योग	**246**	**68**	**27.64**

9- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य :- वर्ष 2006-07 में 77.5 प्रतिशत पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 948 लेखाओं में से 209 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 739 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित

नहीं करायी जा सकी।

10.1.1 – सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें :-

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2006-07 तक में सम्रीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रु० 32,69,01,879=00 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है तथा संस्थावार विवरण कार्यकारी खण्ड में दिया गया है।

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि (रु० में)
1-	व्यपहरण	213543=00
2-	अधिक/अनियमित/परिहार्य	18836972=00
3-	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें	5235962=00
4-	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	2676874=00
5-	आर्थिक क्षति	77569993=00
6-	राजस्व क्षति	1585855=00
7-	अस्थायी अग्रिम	204524998=00
8-	अनानुमोदित व्यय	16257682=00
	योग	**326901879=00**

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2007 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट** "च" में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 4979 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

10.1.2 – विशेष सम्परीक्षाऐं :-- प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जॉच संस्था अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2006-07 में लोक सेवा अभिकरण देहरादून वर्ष 2004-05 से 2005-06 तथा नगर पंचायत केलाखेडा वर्ष 2004-05 से 30.5.2006 की विशेष सम्परीक्षा सम्पन्न की गयी।

10.2.1 – सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :- वर्ष 2006-07 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :-

	(रुपयों में)
01 अप्रैल, 2006 को प्रारम्भिक शेष	67260266=00
वर्ष में स्थापित मॉग	11694790=00

योग	78855056=00
वर्ष में समाहरण	43122183=00
31 मार्च, 2007 को बकाया	**35832873=00**

10.2.2 – उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष में चार करोड इकत्तीस लाख बाइस हजार एक सौ तिरासी रुपये की वसूली हुई है जिसमे गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है किन्तु यह वसूली कुल बकाया धनराशि की तुलना में सन्तोषजनक नहीं रही। इसका मुख्य कारण वर्तमान में सम्परीक्षा शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में विभाग को विशेष अधिकार प्राप्त न होना है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम – 1984 की धारा 4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/ संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11.1- चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा-3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पत्तियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड को शासनादेश संख्या 163/xxvii(2)/2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण परिशिष्ट ''छ'' में दिया गया है।

(1) कोषाध्यक्ष, धर्मादा सन्दान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से उत्तराखण्ड की न्यासों की प्रतिभूतियों में जमा धनराशियाँ रु० 985000=00 प्राप्त हो चुकी है, जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक देहरादून की विभिन्न शाखाओं में विनियोजित किया गया है।

(2) गढवाल क्षत्रिय एजुकेशन स्कारशिप इण्डाउमेन्ट हेतु वर्ष 2006-07 में संस्था से प्राप्त रु० 10,00,000=00 (रु० दस लाख) पंजाब नेशनल बैंक देहरादून में जमा किया गया।

(3) कोषाध्यक्ष, धर्मादा सन्दान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्रतिभूतियों का ब्याज रु० 1,07,252=00 से रु० 1,750=00 राजकीय कटौती के पश्चात् शेष धनराशि रु० 1,05,202=00 के

विरुद्ध रु० 92,292=00 के ब्याज भुगतानादेश सम्बन्धित न्यासों को प्रेषित किया गया।

12- <u>लेखाकार परीक्षा का आयोजन :-</u> जिला पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं जल संस्थानों की लेखाकार परीक्षा के आयोजन कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।

13- <u>जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण :-</u> वर्ष 2006-07 में प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :-

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
शून्य	229	167	62

14- <u>निष्कर्ष :-</u> उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट** ''क'' से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2006-07 में 948 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। जनशक्ति की भारी कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरियता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए मात्र 209 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित **रु० 32,69,01,879=00** की गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षति आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(यशपाल सिंह)
निदेशक

2- कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2006-07)

वर्ष 2006-07 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं। इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रु० में)
1	नगर पालिका परिषदें	16052801=00
2	नगर पंचायतें	3318996=00
3	वन विकास निगम	26998417=00
4	हायर सेकेण्ड्री/ इण्टर कालेज	73942=00
5	विश्वविद्यालय	251801692=00
6	मन्दिर समितियाँ	2700695=00
7	बेसिक शिक्षा समितियाँ	----
8	विकास प्रधिकरण	2174392=00
9	उत्तरांचल कृ०उ०मण्डी परिषद	4296879=00
10	कृ०उ०मण्डी समितियाँ	19074184=00
11	उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण	409881=00
12	राष्ट्रीय सेवा योजना	----
13	डिग्री कालेज	----
14	संस्कृत महाविद्यालय	----
	योग	**326901879=00**

टिप्पणी :- विस्तृत विवरण **परिशिष्ट** ''ज'' में दिया गया है।

वर्ष 2006-07 में सम्पन्न सम्परीक्षायें

नगर पालिका परिषदें

नगर पालिका परिषद ऋषिकेश (देहरादून) वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर रु० 69612=00 प्राप्त पाकिंग शुल्क से अधिक भुगतान किया गया।

भाग-दो (ब) प्रस्तर 13

नगर पालिका परिषद मसूरी (देहरादून) वर्ष 2004-05 :-

आर्थिक क्षति :- (क) कम्पनी बाग़ स्थित कर्मचारी कालोनी के मरम्मत कार्य को समय से समाप्त न करने से दण्ड की धनराशि वसूल न करने से पालिका को रु० 59100=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग-दो (अ) प्रस्तर (क)

(ख) विभिन्न मदों के कम दर से लाइसेंस बनाये जाने से पालिका को रु० 516750=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग-दो (अ) प्रस्तर (ड.)(2)

नगर पालिका परिषद मसूरी (देहरादून) वर्ष 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- पद सृजित न होने पर भी दैनिक वेतन पर सफाई कर्मचारी नियुक्त करके परिषद द्वारा रु० 37440=00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग-दो (अ) प्रस्तर 1(viii)

(ख) राजकीय अनुदानों सम्बन्धी अनियमिततायें :- पालिका द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न सड़क एवं नाली निर्माण करके रु० 120854=00 के राजकीय अनुदान का विचलन किया गया।

भाग-दो (अ) प्रस्तर 1(xiii)

नगर पालिका परिषद श्रीनगर (पौड़ी) वर्ष 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- मै० अमित ट्रेडर्स ऋषिकेश की न्यूनतम दरों को, फर्म का आयकर विभाग में पंजीकरण न होने के कारण विचार नहीं किया गया। फलस्वरुप रु० 38000=00 का अधिक भुगतान हुआ।

भाग-दो (अ) प्रस्तर 1

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :- श्री एम०एल० शाह, अधिशासी अधिकारी को 4500-7000 के स्थान पर 8000-13500 में कार्यरत दर्शाकर अगस्त, 2001 से जुलाई, 2005 तक रु० 140400=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -6

नगर पालिका परिषद पौड़ी वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- शो टैक्स दर रु० 40=00 को शिथिल कर रु० 20=00 करने से पालिका को रु० 12540=00० की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -8(ग)

नगर पालिका परिषद कोटद्वार (पौड़ी) वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- श्री रत्नाकर लाहड़ी से 05 दुकानों का किराया रु० 216960=00 न वसूले जाने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -3(1)

नगर पालिका परिषद दुगड्डा (पौड़ी) वर्ष 2005-06 :-

(क) आर्थिक क्षति :- (1) गृहकर का कम निर्धारण किये जाने से पालिका को रु० 9543=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -6(क)

(2) व्यवसायिक लाइसेंसों के कम बनाये जाने से रु० 1650=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -6(ख)

(ख) राजस्व क्षति :- पालिका द्वारा ठेकेदारों से काटी गई आयकर एवं व्यापार कर की कटौती रु० 15020=00 को राजकोष में जमा नहीं किया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -6(ग)

(ग) राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें :- वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त रु० 350158=00 के उपभोग हेतु 50 प्रतिशत पालिका का अंशदान रु० 175079=00 नहीं लगाये जाने से अनुदान की शर्त का विचलन किया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -9

नगर पालिका परिषद काशीपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004-05 से 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (१) श्री जगदीश सिंह विष्ट ठेकेदार को रु० 29877=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -2(ख)

(2) श्री चन्द्रकान्त गुप्ता, अवर अभियन्ता से भवन किराया की वसूली न करने से रु० 32071=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -2(ग)

(ख) आर्थिक क्षति :- (1) ठेकेदारों से रु० 83156=00 की वसूली न करने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -3(ग)

(2) कर में अनियमित छूट से पालिका को रु० 13000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -3(घ)

(3) ठेकेदारों से विलम्ब दण्ड न काटे जाने से हुए अधिक भुगतान के फलस्वरुप पालिका को रु० 106400=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -3(ज)

(4) गृहकर वसूल न किये जाने से पालिका को रु० 54808=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -3(ड.)

(ग) राजस्व क्षति :- (1) निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाने से रु० 110788=00 की राजकीय राजस्व की हानि हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -3(च)

(2) व्यापार कर रु० 24810=00 की अपवंचना की सम्भावना।

भाग-दो (अ) प्रस्तर -1(छ)

नगर पालिका परिषद गदरपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004-05 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) सफाई व्यवस्था ठेके के माध्यम से करवाये जाने से रु० 177600=00 का अनियमित एवं परिहार्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(1)

(2) अधिशासी अधिकारी को रु० 907=00 अन्य भत्तों का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(4)

(3) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु० 564071=00 का अमान्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(11)

(ख) आर्थिक क्षति :- सर्वे के आधार पर प्रस्तावित गृहकर रु० 1307943=00 को बिना किसी ठोस आधार के रु० 591388=00 तक कम किया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(5)

(ग) राजस्व क्षति :- राजस्व ठेकों हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों में अनुबन्ध न कराये जाने से रु० 39875=00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(6)

(घ) राजकीय अनुदानों सम्बन्धी अनियमिततायें :- ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु० 348432=00 बिना मैचिंग शेयर लगाये उपभोग किया गया जाना अनुदान की शर्तो का उल्लंघन था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(8)

नगर पालिका परिषद काशीपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2002-03 से 2003-04 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) सफाई कर्मचारियों को अनुमन्य से अधिक रु० 13080=00 गृह किराये का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(2)

(2) सफाई ठेकेदार को रु० 12276=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(3)

(3) संविदा कर्मियों को शासनादेश/बोर्ड की स्वीकृति बिना रु० 189621=00 मानदेय का अमान्य भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(29)

(ख) आर्थिक क्षति :- (1) पंचवर्षीय गृहकर निर्धारण समय से न करने के कारण रु० 115608=00 आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(6)

(2) होर्डिंग ठेकेदार को अनियमित छूट के फलस्वरुप पालिका को रु० 13000=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(7)

(3) मैक्सफाल्ट आपूर्ति में ठेकेदार से खाली ड्रम के मूल्य की कटौती न करने से रु० 76200=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(8)

(4) श्री ईश्वर सिंह पूर्व अभियन्ता द्वारा पालिका का आवास खाली न करने से रु० 142100=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(9)

(5) कर्मचारियों/अधिकारियों से विद्युत व्यय की वसूली न करने से रु० 71050=00 की पालिका को क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(10)

(6) दाखिल खारिज शुल्क न लेने से पालिका को रु० 183029=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(11)

(7) टैक्स कमेटी द्वारा वार्षिक मूल्य अनियमित रुप से कम करने से पालिका को रु० 40247=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(19)

(8) समय-समय पर अनुपस्थित सफाई कर्मचारियों को भी सन्तोषप्रद सेवा न होने के कारण अनियमित ढ़ग से बोनस भुगतान करने से पालिक को रु० 64142=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(22)

(ग) राजस्व की क्षति :- निर्धारित दरों से कम स्टाम्प लगाने से रु० 326761=00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(27)

नगर पालिका परिषद बाजपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-दैनिक वेतन भोगी स्वच्छकारों पर रु० 351960=00 अनियमित व्यय हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(1)

(ख) राजस्व क्षति :- पालिका द्वारा विभिन्न ठेकों में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न कराये जाने से रु० 148720=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(3)

नगर पालिका परिषद रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004-05 से 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) शासन द्वारा प्रतिबन्ध के वाबजूद दैनिक वेतन पर की गई नियुक्ति के फलस्वरुप रु० 31060=00 अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(1)

(2) गृहकर किराये के रुप में रु० 1160=00 अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(12)

(ख) आर्थिक क्षति :- (1) मीट लाइसेन्स न बनाये जाने से पालिका को रु० 10900=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(8)

(2) पावर लाइसेन्स न बनाये जाने से पालिका को रु० 15500=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(9)

(3) राजस्व मदों की वसूली न करने से रु० 156000=00, 50000=00, 205100=00, 195000=00 कुल रु० 606100=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(8)(1)(2)(3)(4)

नगर पालिका परिषद सितारगंज (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004-05 :-

(क) राजस्व की क्षति :- निर्धारित मूल्य से कम के स्टाम्प लगाने से रु० 15000=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(4)

(ख) आर्थिक क्षति :- निर्धारित दरों पर लाइसेन्स शुल्क न लिये जाने से रु० 20935=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ख)

नगर पालिका परिषद किच्छा (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004-05 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर किया गया भुगतान रु० 284736=00 अनियमित था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(क)

(ख) राजस्व क्षति :- (1) व्यापार कर रु० 309786=00 राजकोष में जमा न किये जाने से राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(क)

(2) श्री मिस्वाउद्दीन ठेकेदार के बिल से व्यापार कर रु० 9744=00 की कटौती न किये जाने से राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ख)

(3) स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध न किये जाने से रु० 155030=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(घ)

(4) आयकर, व्यापार कर की कटौती न किये जाने से रु० 13654=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ग)

(ग) आर्थिक क्षति :- (1) त्रुटिपूर्ण गृहकर निर्धारण के फलस्वरुप पालिका को रु० 169607=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(च)

(2) व्यवसायिक लाइसेन्सों के नवीनीकरण न कराये जाने के फलस्वरुप रु० 11315=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(छ)

(घ) अस्थायी अग्रिम :- वर्षान्त में रु० 33296=00 के अस्थायी अग्रिम असमायोजित थे।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) दैनिक वेतन क फलस्वरुप रु० 842151=00 का अमान्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(अ)

(2) बजट प्राविधान से अधिक रु० 1586140=00 अमान्य व्यय किया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(द)

नगर पालिका परिषद पिथौरागढ वर्ष 2003-04 से 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु दिये गये ठेकों के सापेक्ष रु० 93948=00 विभिन्न ठेकेदारों से वसूली न किये जाने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)(1)

नगर पालिका परिषद टनकपुर (चम्पावत) वर्ष 2004-05 से 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- विभिन्न ठेकों का रु० 369508=00 कई वर्षों से वसूल न किये जाने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(स)(3)(ब)

नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर (टिहरी) वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- दैनिक वेतन भोगियों पर रु० 270100=00 पर अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –5(1)

नगर पालिका परिषद नई टिहरी वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) अध्यक्ष के आवास के समाचार पत्र का रु० 1265=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4(क)

(2) अध्यक्ष के आवासीय टेलीफोन पर रु० 2695=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4(ख)(1)

(3) नव वर्ष ग्रीटिंग कार्ड पर रु० 420=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –2(ख)(2)

(4) सीवर व्यवस्था पर दैनिक मजदूरों पर रु० 144000=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –2(ख)(3)

(5) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रु० 1872100=00 का भुगतान किया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(1)

(6) परिषद को स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी के कार्यरत होने के कारण रु० 12500=00 का अनानुमोदित व्यय हुआ।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –2(अ)

(ख) आर्थिक क्षति :- (1) किराया दरों में कटौती से रु० 43440=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(1)

(2) कम दर से लाइसेंस शुल्क वसूली से रु० 9300=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)(आ)

नगर पालिका परिषद गोपेश्वर (चमोली) वर्ष 2004-05 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- बिना पद सृजन के कर्मचारियों को दैनिक वेतन /संविदा पर नियुक्त किये जाने से रु० 304200=00 के पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4

नगर पालिका परिषद गोपेश्वर (चमोली) वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- बिना पद सृजन के कर्मचारियों को दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्त किये जाने से रु० 302000=00 के पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(छ)

नगर पालिका परिषद नैनीताल वर्ष 2004-05 :-

(क) आर्थिक हानि :- (1) वर्ष 1999-2001 की तुलना में लाजिंग लाइसेंस कम बनने से पालिका को रु० 113800=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(ख)

(2) जिला स्पोर्टस एसोसियेशन से पालिका नैनीताल का अंश रु० 1684583=00 न वसूलने से आर्थिक क्षति हुई।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(ग)

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन रु० 192552=00 का भुगतान किया जाना था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(घ)

(2) सफाई कर की राशि माफ किये जाने से रु० 14560=00 की हानि हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(ख)

नगर पालिका परिषद भवाली (नैनीताल) वर्ष 2004-05 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) यात्रा हेतु पूरी टैक्सी का भुगतान रु० 3500=00 किया जाना अनियमित था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1

(2) ठेकेदार को निर्माण कार्य हेतु रु० 5497=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(क)

<u>नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी वर्ष 2005-06 :-</u>

<u>अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-</u> दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन आदि पर रु० 140736=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4(ब)

नगर पंचायतें

नगर पंचायत हर्बटपुर (देहरादून) वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- कर्मचारियों को वाहन भत्ते के रुप में रु० 4200=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(क)

नगर पंचायत शक्तिगढ़ (उधमसिंहनगर) वर्ष 2004-05 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) श्री भूपेन्द्र राय ठेकेदार को कार्यो का रु० 13242=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –(3)

(2) असृजित पदों पर नियुक्ति के फलस्वरुप रु० 291855=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –5(ख)

नगर पंचायत चम्पावत वर्ष 2004-05 से 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) खैतीखान रोड मिलान से पी०एन० सती के घर तक सीमेन्ट कंकरीट रोड व नाली निर्माण कार्य में रु० 3812=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ग)(2)

(2) दैनिक/ संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध के उपरान्त भी नियुक्ति करने से रु० 499043=00 का अनियमित वेतन भुगतान किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(क)(2)(3)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितातायें :- श्री प्रकाश चन्द्र हरबोला, अधिशासी अधिकारी को वेतन के रुप में रु० 28412=00 अधिक तथा रु० 13843=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(क)(1)

(ग) आर्थिक क्षति :- व्यवसायिक लाइसेन्स न बनाये जाने से रु० 14000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)

<u>नगर पंचायत धारचूला (पिथौरागढ) वर्ष 2005-06 :-</u>

<u>अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-</u> निर्धारित अवधि से पहले समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतन बृद्धि देने से रु० 13768=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)(1)

<u>नगर पंचायत डीडीहाट (पिथौरागढ) वर्ष 2002-03 से 2005-06 :-</u>

<u>(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-</u> (1) दैनिक भत्ता एवं सड़क मील भत्ता के रुप में रु० 7774=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)

(2) चिकित्सा व्यय पूर्ति हेतु बिलों की छायाप्रति के माध्यम से रु० 9148=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –१(क)(2)

(3) त्रुटिपूर्ण वेतन भुगतान के फलस्वरुप रु० 117639=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)(1)(2)(3)(6)

<u>(ख) व्यपहरण :-</u> रसीदों से प्राप्त आय रु० 3723=00 को न तो रोकड़बही में और न ही बैंक में जमा कर, व्यपहरण कर ली गयी थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ग)(1)

<u>नगर पंचायत मुनि की रेती (टिहरी) वर्ष 2005-06 :-</u>

<u>(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-</u> दैनिक वेतन/संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध के वाबजूद ऐसी नियुक्ति किये जाने से रु० 15881=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(2)

<u>(ख) आर्थिक क्षति :-</u> अनुबन्ध की शर्त के अनुसार ठेकेदार द्वारा समय से किस्त न जमा करने से अर्थदण्ड के रुप में रु० 55121=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(क)(अ)(1)

<u>नगर पंचायत चम्बा (टिहरी) वर्ष 2005-06 :-</u>

<u>(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-</u> दैनिक वेतन/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर रु० 38480=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5

(ख) व्यपहरण :-: तहबाजारी शुल्क रु० 215=00 को पंचायत निधि में जमा न कर व्यपहरित कर ली गयी थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(क)

नगर पंचायत देवप्रयाग (टिहरी) वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) बकाये के रुप में गृह किराये का रु० 12525=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(क)(1)

(2) सफाई कर्मचारियों आदि पर रु० 164250=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(क)(3)

नगर पंचायत कीर्तिनगर (टिहरी) वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- संविदा पर नियुक्ति के फलस्वरुप रु० 12,600=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(2)

नगर पंचायत रुद्रप्रयाग वर्ष 2004-05 :-

आर्थिक क्षति :- ठेकेदारों से वसूली न किये जाने से पंचायत को रु० 52175=00 की हानि हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ख)

नगर पंचायत लालकुंआ (नैनीताल) वर्ष 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- 2100 कार्ड छपाई का पंचायत निधि से भुगतान रु० 9450=00 किया जाना अनियमित था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(2)

(ख) आर्थिक क्षति :- लाइसेन्स न बनाये जाने से रु० 8700=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –(9)

नगर पंचायत कालाढुंगी (नैनीताल) वर्ष 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) बिना प्राविधान के कार्य हेतु रु० 1700=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –7(1)

(2) बिना प्राविधान के स्टील आयरन का कार्य कराने से रु० 1895=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –३(2)

(ख) आर्थिक क्षति :- (1) दुकानों का प्रीमियम न लेने से रु० 13000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(1)

(2) गृहकर की वसूली न करने से रु० 448111=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(1)

(ग) राजस्व की क्षति :- निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध न कराये जाने से रु० 3458=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(2)

नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) वर्ष 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) नाली खडंजा की सफाई हेतु किया गया भुगतान रु० 23162=00 अमान्य था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4(क)

(2) अवर अभियन्ता को वाहन भत्ते का रु० 780=00 का भुगतान अनियमित था। यह केवल निर्धारित कर्मचारियों को ही देय था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(1)

(3) नक्शा बनाने, देहरादून यात्रा हेतु रु० 7000=00 का भुगतान बिना देयकों के किया जाना अनियमित था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(5)

(ख) आर्थिक क्षति :- ठेकेदार से पार्किंग शुल्क की पूर्ण धनराशि न वसूले जाने से रु० 500=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(2)

नगर पंचायत लक्सर (हरिद्वार) वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- गृहकर वसूली में छूट दिये जाने से रु० 2006=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)

नगर पंचायत शक्तिगढ (उधमसिंहनगर) वर्ष 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) अधिशासी अधिकारी को रु० 159436=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(2)

(2) असृजित पदों पर रु० 347417=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(4)

(ख) आर्थिक क्षति :- तहबाजारी की नीलामी में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर न लगाने से रु० 15300=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(5)

नगर पंचायत केलाखेड़ा (उधमसिंहनगर)(विशेष सम्परीक्षा वर्ष 2004-05 से 2005-06 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान /परिहार्य व्यय :- (1) संविदा एवं दैनिक वेतन पर नियुक्ति से रु० 264048=00 का अनियमित एवं परिहार्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1

(2) यात्रा भत्ता के रुप में रु० 14218=00 का अनियमित व अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –2

(3) नगर पंचायत में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक नियुक्ति से रु० 170962=00 का परिहार्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –16

(4) तकनीकी रुप से प्रमाणित कराये बिना स्वागत द्वार की रँगाई-पुताई पर रु० 49800=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –24

(ख) राजस्व क्षति :- निर्धारित दर से कम स्टाम्प लगाने से रु० 45760=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –14

(ग) अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें :- दैवीय आपदा व पर्यटन विकास अनुदान स्वीकृत सीमा व अनियमित रुप से व्यय कर रु० 203804=00 व 1108187=00 अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –23 व 24

नगर पंचायत बड़कोट (उत्तरकाशी) वर्ष 2005-06 :-

व्यपहरण :- चूना बैगों का मूल्य रु० 500=00 के स्थान पर रु० 1500=00 दिखाकर रु० 1000=00 व्यपहरण कर लिया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(1)

विश्वविद्यालय

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (पौड़ी) वर्ष 2003-04 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) नैत्यिक प्रकृति के कार्यो हेतु रु० 810910=00 का मानदेय का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –11

(2) मूल्यांकन प्रभारियों को पारिश्रमिक दिये जाने से रु० 277860=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –12

(3) बी०एड० अंकतालिका मिलान कार्य हेतु अधिक दर से भुगतान के फलस्वरुप रु० 12272=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –13

(4) छात्र संघों के कार्यक्रम पर बिना बजट रु० 424378=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –14

(5) परीक्षा कार्य में प्रयुक्त टैक्सी को 13 दिन रोककर रु० 11657=00 का परिहार्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –15

(6) कुलपति के सुरक्षा गार्ड को अनियमित एवं अधिक रु० 21497=00 यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –16

(7) सहायक छात्रावास अधीक्षक को मकान किराया रु० 11446=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –17

(8) परीक्षा पर्यवेक्षक को रु० 40=00 के स्थान पर रु० 200=00 प्रतिपाली की दर से रु० 2880=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –28

(9) बिना शासन की अनुमति के परीक्षा पारिश्रमिक की दर में भारी बृद्धि कर रु० 978589=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –30

(ख) अधिष्ठान से सम्बन्धित अनियमिततायें :- (1) डा० श्रीमती रुक्मा रावत को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय के विपरीत रु० 280066=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –20

(2) जी०पी०एफ० खाते में संचित धनराशि से अधिक भुगतान करने से रु० 20481=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –26

(3) द्विभाषीय टंकण प्रोत्साहन भत्ता विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर लागू न होने से रु० 26735=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –19

(ग) आर्थिक क्षति :- (1) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय का 40 प्रतिशत से कम धनराशि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करने से रु० 186314=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –24

(2) अंक पत्र लेखन व मिलान कार्य हेतु उच्च पारिश्रमिक दर से भुगतान के फलस्वरुप रु० 135102=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –21

(घ) अस्थायी अग्रिम :- अस्थायी अग्रिम समायोजन न करने से रु० 21895109=00 के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –8

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) 2002-2003 :-

(क) व्यपहरण :- फसल उत्पादन केन्द्र तथा बीज उत्पादन केन्द्र के बीजों की बिक्री आदि एवं शेष बीजों का भण्डार में वापसी न दिखाये जाने से रु० 93823=00 मूल्य के बीजों का व्यपहरण हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1,2,3,4,5

(ख) अनानुमोदित व्यय :- टीचर्स पर्सनल का पारिश्रमिक वेतन एवं भत्ते मद से दिया जाना व पद न होने पर भी वेतन भोगियों पर रु० 16257682=00 का अनानुमोदित व्यय हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –7,8,9,10

(ग) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :- (1) अनियमित रुप से अधिक उपार्जित अवकाश जमा कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के रुप में रु० 108991=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –11,12,13,14,15, 19,25,39,42,49

(2) वेतन बिलों से मकान किराया, जल मूल्य की कटौती न करने से रु० 74235=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –71

(घ) आर्थिक क्षति :- (1) पुस्तकों एवं बीजों की उधार बिक्री की धनराशि वसूल न किये जाने से विश्वविद्यालय को रु० 6208147=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –51,58,65

(2) कम्प्यूटर चोरी के अवशेष मूल्य की वसूली एजेन्सी से न किये जाने से रु० 67205=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –67

(3) अतिथि गृहों में आने वाले अतिथियों से आवास किराया न लिये जाने से रु० 55775=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –57

(4) सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के आवासों में अवैध अध्यासन से रु० 872899=00 की क्षति हुई।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –68

(5) विशेष मानदेय, अतिकाल भत्ते के अनियमित भुगतान से रु० 834267=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –84, 89

(ङ) राजस्व क्षति :- अनाजों की खुली नीलामी से मण्डी शुल्क वसूल न किये जाने से रु० 54051=00 की राजस्व क्षति हुई।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –59, 66

(च) अधिक/अनियमित/अमान्य व्यय :- (1) विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह पर आई० पी०एम० परियोजना पर भारित कर रु० 200000=00 का व्यय अमान्य था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –95

(2) ग्लास हाउस – रिनोवेशन कार्य को उच्च दर पर स्वीकार कर कार्य हेतु रु० 138040=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –102

(छ) अनुदान सम्बन्धी अनियमिततायें :- (1) अनुसंधान केन्द्र नगीना में जलापूर्ति हेतु अधूरा ओवर हैड टैंक बनाने से रु० 786020=00 अनुदान का दुरुपयोग हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –111

(2) विश्वविद्यालय आयोनेत्तर मद में आय/प्राप्त के सापेक्ष रु० 95768513=00 अनुदान शर्तो का विचलन हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –112

(3) ए०आई०सी०आर०पी० परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान से रु० 60000=00 चिकित्सा अग्रिम का अनियमित भुगतान करके अनुदान का विचलन किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –113

(ज) अस्थायी अग्रिम :- कार्यरत /सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को दिये गये रु० 181928416=00 के अग्रिमों का समायोजन नहीं किये जाने से दुरुपयोग की स्थिति विद्यमान थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –118

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) वर्ष 2002-03 :-

(क) व्यपहरण :- निर्धारित मानक से अधिक गेहूं बीज बोये से रु० 113899=00 के बीज का दुर्विनियोग हुआ था।

प्रस्तर –1(झ)

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) अदेयत्त प्रमाण पत्र के वाबजूद रु० 345466=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

प्रस्तर –1(फ)

(2) कर्मचारियों को अतिकाल भत्ते रु० 48335=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

प्रस्तर –1(द)

(3) कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मानदेय एवं टेलीफोन भत्ते के रुप में रु० 63202=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

प्रस्तर –1(च)

(ग) आर्थिक क्षति :- (1) मानक से कम उत्पादन से रु० 17884078=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

प्रस्तर –1(ज)

(2) नीलामी में कम गेहूं जीन्स आपूर्ति करने से रु० 91434=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

प्रस्तर –1(घ)

(3) उर्द बीज का खेतों में जमाव न होने से रु० 54267=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

प्रस्तर –1(ग)

(4) घासफूस ठेके रु० 197000=00 के विरुद्ध मात्र रु० 137250=00 प्राप्त होने से रु० 59750=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

प्रस्तर –1(छ)

(घ) राजस्व की क्षति :- 74.23 है० भूमि को रु० 1415897=00 में लीज पर देने से स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध के रुप में रु० 176987=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

प्रस्तर –1(त)

विकास प्राधिकरण

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून वर्ष 2004-05 :-

(क) अधिक /अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को ट्रेफिक लाइट मरम्मत हेतु रु० 1500000=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1,5

(2) यातायात सलाहकार की संविदा पर नियुक्ति करने के कारण रु० 16000=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1,6(क)

(3) अतिरिक्त कार्य पर निविदा शर्त के अनुसार दर कम न करने से रु० 47348=00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1,9(ख)

(ख) आर्थिक क्षति :- सम्पत्ति मूल्य की कम गणना करने से रु० 433943=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4(क)

नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल वर्ष 2003-04 से 2004-05 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) मै० इन्टेक दिल्ली के प्रस्ताव में सर्वे का उल्लेख न होने पर भी रु० 150000=00 का अनियमित रुप से भुगतान किया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(1)

(2) कम्प्यूटर आपरेटर/प्रोग्रामर के कार्यो हेतु फर्मो को रु० 12806=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(2)(1)(2)

(3) नगर पालिका परिषद हेतु रु० 2495=00 का पेन्ट खरीदा जाना अनियमित था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(5)

(ख) राजस्व क्षति :- आवेदित मानचित्रों की सम्पूर्ण भूमि की रजिस्ट्री न होने से रु० 11800=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(16)

उत्तरांचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

उत्तरांचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004-05 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) मण्डी भवन निर्माण के नवें चालू देयक से सरिया का मूल्य न वसूलने से रु० 169417=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(1)

(2) सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा को सम्पर्क मार्ग हेतु रु० 318750=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(2)

(3) स्थानीय कटान से उपलब्ध पत्थर प्रयुक्त न करने से ठेकेदारों को रु० 1081647=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो(अ) प्रस्तर– 1(4)(क)(ख)(ग)(घ)(ड.)

(4) रोलिंग टेरेन क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र की अनुबन्ध ढुलान दर पर दिये जाने से ठेकेदारों को रु० 604516=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो(अ) प्रस्तर– 1(6)(क)(ख)(ग)(घ)(ड.)

(5) दोहरे भुगतान व स्टोन ढुलाई अधिक दर से करने से कुल रु० 302184=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(9)

(6) प्रतिबन्ध के वाबजूद दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति के फलस्वरुप रु० 347710=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(12)

(7) स्वीकृत लम्बाई से अधिक सड़क निर्माण से रु० 472562=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(13)

(8) ठेकेदार को 1940 बैग सीमेन्ट रु० 140=00 प्रति बैग की दर से रु० 217600=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(15)

(9) तीन रोप वे हेतु पृथक ढुलान हेतु रु० 100000=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(16)

(10) श्री एस०एस० परमार को दिल्ली, मुम्बई, देहरादून उपचार कराने पर रु० 100721=00 के सापेक्ष रु० 250014=00 चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर रु० 149293=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(19)

(ख) आर्थिक क्षति :- परिषद के निर्माण खण्ड द्वारा विनियोजनों को विलम्ब से भुनाये जाने के कारण रु० 88695=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(3)

(ग) अस्थायी अग्रिम :- श्री एस०एस० परमार से अग्रिमों का समायोजन न करने से रु० 317111=00 के दुरुपयोग की स्थिति विद्यमान थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(16)

(घ) राजस्व क्षति :- विद्युत कार्य सम्बन्धी ठेकेदार से कम दर पर व्यापार कर की कटौती से रु० 127394=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(5)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं

कृषि उत्पादन मण्डी समिति किच्छा (उधमसिंह नगर) वर्ष 2005-06:-

आर्थिक क्षति :- (1) परिसम्पत्तियों से किराया वसूल न किये जाने से रु० 212575=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(क)

(2) मण्डी शुल्क विलम्ब से जमा होने पर फर्मो से ब्याज न लिये जाने से रु० 19102=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ग)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति खटीमा (उधमसिंह नगर) वर्ष 1999-2000 से 2005-06:-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- निलम्बन अवधि का वेतन रु० 67052=00 मण्डी समिति खटीमा से किया जाना अनियमित था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4

आर्थिक क्षति :- (1) दुकान किराये पर न दिये जाने से रु० 12816=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(क)

(2) किराये की भारी धनराशि रु० 442835=00 बकाया रहने से समिति को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(ख)

(3) लाइसेंसों के नवीनीकरण न कराये जाने से रु० 50050=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(ग)

(4) मण्डी शुल्क, विकास सैस का बकाया रहने से समिति को क्रमश: रु० 742970=00 एवं रु० 113257=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(घ)

(5) ब्याज कम लेने से समिति को रु० 14866=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –5(द)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004-05:-

आर्थिक क्षति :- (1) परिसम्पत्तियों का किराया वसूल न किये जाने से रु० 675154=00 की समिति को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –(6)

(2) दुकानों का आवंटन न किये जाने से रु० 714000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(अ)

(3) मण्डी शुल्क एवं विकास सैस रु० 462159=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(क)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति गदरपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- मण्डी शुल्क विकास सैस बकाया न वसूलने से रु० 1587923=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ब)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- (1) लाइसेंसों का नवीनीकरण न करने से रु० 10200=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(क)

(2) दुकानों का किराया न वसूलने से रु० 339591=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ख)

(3) मण्डी शुल्क एवं विकास सैस रु० 10264725=000 की वसूली न करने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(घ)

(4) दुकानों का आवंटन न करने से समिति को रु० 170982=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –6(ग)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति हरिद्वार वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- (1) विलम्ब से व्यापारियों से ब्याज वसूले जाने से रु० 833=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ग)

(2) लाइसेंसों के नवीनीकरण न करने से रु० 1550=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –9(ख)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी (नैनीताल) वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- (1) लाइसेंसों के नवीनीकरण न कराये जाने से समिति को रु० 9075=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(क)

(2) मण्डी शुल्क वसूल न किये जाने से रु० 2781181=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ख)

(3) सैस शुल्क की वसूली न करने से रु० 146223=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ग)

(4) कैन्टीन ठेके का रु० 103000=00 वसूल न करने से समिति को क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(घ)

राजस्व क्षति :- कैन्टीनों हेतु अनुबन्ध न कराये जाने से रु० 1700=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(घ)(2)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी (नैनीताल) वर्ष 2004-05 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) विद्युत विभाग को विद्युत बिल के रुप में रु० 54652=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(अ)

(2) विद्युत बिलों का समय से भुगतान न करने से रु० 2824=00 का परिहार्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(ब)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति कोटद्वार (पौंडी) वर्ष 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :-: रु० 71890=00 मण्डी शुल्क ने वसूलने से समिति को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(क)

हायर सेकेण्ड्री स्कूल/इण्टर कालेज

बी०डी० हायर सेकेण्ड्री स्कूल भगवानपुर (हरिद्वार) वर्ष 2005-06 :-

अधिक /अनियमित/अमान्य भुगतान :- (1) श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी, सहायक अध्यापक को परिवार कल्याण प्रोत्साहन स्वस्थ्य वैयक्तिक वेतन के रुप में रु० 4725=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –(II)

(2) श्री सुरेश अरोड़ा सहायक अध्यापक को परिवार कल्याण प्रोत्साहन स्वरुप रु० 4725=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –(III)

महात्मा गॉधी इण्टर कालेज हल्द्वानी (नैनीताल) वर्ष 2001-02 से 2005-06 :-

आर्थिक क्षति :- सन्दान निधि की दुकानों का रु० 35850=00 न वसूले जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –(I)

अनुदान सम्बन्धी अनियमिततायें :- अपने स्तर से रु० 25000=00 निर्माण सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर उपभोग कर दिया गया था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –(4)

एम० बी० इण्टर कालेज हल्द्वानी (नैनीताल) वर्ष 2001-02 से 2005-06 :-

व्यपहरण :- शुल्काय की धनराशि रु० 882=50 जमा न कर व्यपहरित कर ली गयी थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –1(क)

अधिक/अनियमित/अमान्य व्यय :- श्री वीरेन्द्र सिंह बोरा सहायक अध्यापक को समय से पूर्व वेतनबृद्धि देने से रु० 2784=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –2(क)

मन्दिर समितियाँ

श्री- 5 गंगोत्री मन्दिर समिति उत्तरकाशी वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :- क्रय की गयी सामग्री में बिलिंग शुद्ध योग से रु० 7069=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4(क)

(ख) आर्थिक क्षति :- खाद्यान्न हेतु प्राप्त निविदाओं में अधिकतम दर से निविदा स्वीकृत करने से रु० 50180=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो (अ) प्रस्तर –4(ख)(1)

श्री बद्रीनाथ मन्दिर समिति बद्रीनाथ वर्ष 2004-05 :-

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/अपरिहार्य व्यय :- (1) यात्रा अवधि से भिन्न अवधि में विज्ञापन पर रु० 271276=00 का अपरिहार्य व्यय हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(ग)(1-8)(1)

(2) यात्रा भत्ता देयकों में रु० 95139=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर–1(ग)(1-1)(1-2)
(स) (1-3)(स)(द)(य)(र)

(3) नवीन नियुक्तियो पर रु० 805105=00 का अनियमित व्यय हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(घ)(1)(2)

(4) पूर्व मुख्य अधिकारी को नकदीकरण में रु० 66620=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो (ब) प्रस्तर –1(घ)(4)

(5) विभिन्न बिलों में रु० 77193=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1-2)(स)
(1-3)(अ)(ब)(द)(य)(र)(ल)

(6) अध्यक्ष आवास की साज सज्जा पर रु० 313967=00 का अमान्य व्यय हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1-6)(1)

(7) अध्यक्ष आवास कार्यालय हेतु अनुमन्य संचार सुविधाओं पर रु० 158811=00 का अधिक /अमान्य भुगतान हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1-6)(अ)(2)

(8) अध्यक्ष कार्यालय एवं आवास पर विभिन्न प्रकृति के व्यय पर रु० 129991=00 का अमान्य व्यय हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1-6)(अ)(4)(5)(स)

(9) मुख्य कार्याधिकारी कैम्प कार्यालय व आवास पर रु० 237601=00 का परिहार्य व्यय हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1-7)(अ)

(10) समिति के कर्तव्यों एवं वित्तीय सिद्धान्तों के विपरीत रु० 172527=00 का अमान्य व्यय हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–1(ग)1(6)(अ)(अ)

(ख) अस्थायी अग्रिम :- पूर्व के अग्रिमों के समायोजन किये बिना नया अग्रिम रु० 315216=00 का दिया गया था, जिसका समायोजन भी नहीं हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1-1)(1-2)(स) (1-3)(स)(द)(य)(र)

वन विकास निगम

वन विकास निगम वर्ष 2001-02 से 2003-04 :-

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें ::- (1) अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु रु० 428413=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–4-7

(2) वेतन, बोनस, गृह किराये भत्ते के रुप में रु० 219300=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग-दो(ब) प्रस्तर–6,9,12,14,27,34, 103 एवं 127

आर्थिक क्षति :- (1) कर्मचारियों को नरेन्द्रनगर से देहरादून आने जाने की व्यवस्था हेतु गढवाल विकास निगम को रु० 157500=00 का भुगतान करने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो(ब) प्रस्तर -1(1)

(2) मण्डी शुल्क के रुप में रु० 270980=00 के अधिक भुगतान के फलस्वरुप आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो(ब) प्रस्तर -3

(3) मान हानि में कार्यवाही न लेने से रु० 17537199=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो(ब) प्रस्तर -64,84,135,173

(4) जलौनी लकड़ी कम दर पर विक्रय व काष्ठ श्रेणी में परिवर्तन से रु० 3838736=00 की क्षति हुई थी।

भाग-दो(ब) प्रस्तर -37,63,76,165, 166,193

(5) विक्रय सूची में अंकित दूरी से अधिक दूरी का ढुलान कराने के कारण रु० 4066134=00 के आर्थिक भुगतान के फलस्वरुप आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो(ब) प्रस्तर -53,56,69

(6) कोयला निकासी एवं डिपों में पहुंची मात्रा में अन्तर बोरों का वज़न सम्मिलित करने से रु० 480155=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग-दो(ब) प्रस्तर -146,147

उत्तरांचल लोक सेवा अधिकरण

उत्तरांचल लोक सेवा अधिकरण, देहरादून (विशेष सम्परीक्षा) वर्ष 2005-06 :-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-: (1) किराये भत्ते के रुप में रु० 344250=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग- प्रस्तर -4

(2) सेवा विस्तार के बिना वेतन के रुप में रु० 65631=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग- प्रस्तर -6

परिशिष्ट ''क'' भाग-I

(प्रस्तर- 3 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1-	नगर निगम	01
2-	नगर पालिका परिषद	31
3-	नगर पंचायतें	33
4-	विकास प्राधिकरण	05
5-	विश्वविद्यालय	04
6-	डिग्री कालेज	13
7-	इण्टर कालेज	196
8-	जूनियर हाई स्कूल	236
9-	संस्कृत पाठशालायें	63
10-	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	19
11-	ट्रस्ट लेखे	76
12-	विविध लेखे	226
13-	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
14-	बेसिक शिक्षा समितियाँ	13
15-	वन विकास निगम	01
16-	उत्तरांचल चाय बोर्ड	01
17-	पेंशन निधियाँ	13
योग		932

परिशिष्ट ''क'' भाग-2

(प्रस्तर-3.1 में सन्दर्भित)

(क) सम्बर्ती सम्परीक्षायें :-

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)		01
(2) -------तदैव------	(फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल।		01
(4) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।		01
	योग	**04**

(ख) शत-प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :-

(1) इन्जीनियरिंग कालेज		02
(2) मन्दिर समितियाँ		03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे		07
(क) विश्वविद्यालय	04	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02	
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01	
	योग	**12**

परिशिष्ट ''ख''

(प्रस्तर-3.2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :-

1- नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2- नगर पालिकायें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3- नगर पंचायतें	---तदैव---
4- (क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964
(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	---तदैव---
5- (क) जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ	उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972
(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	---तदैव---
6- राज्य विश्वविद्यालय	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973
7- विकास प्राधिकरण	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973
8- वन निगम	उ०प्र० वन निगम अधिनियम-1974
9- महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम।
10- कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तदधीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।

वित्तीय - विनियमावलियाँ

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पाँच,छः	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।

परिशिष्ट ''ग''

(प्रस्तर-5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट -1892/दस-78-355(10) दिनांक 21 जून, 1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :-

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000=00 से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रु० 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 2500=00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर	रु०100=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500=00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000=00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800=00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु०10000=00 या उसके अंश पर	रु० 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75=00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

() कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
() न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75=00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000=00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800=00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर	रु० 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500=00

(च) शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(च) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है। सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्वविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट ''घ''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

क्र०सं०	जनपद का नाम	पता	दूरभाष संख्या
1	देहरादून	8-ए बंगाली मौ० करनपुर, देहरादून।	0135-2744075
2	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद हरिद्वार पिनकोड-	01344-220955
3	टिहरी (गढवाल)	विकास भवन नई टिहरी। 249148	01376-232805
4	पौड़ी (गढवाल)	माल रोड पौड़ी	01368-223477
5	चमोली	पैट्रोल पम्प, नगर पालिका परिषद के नीचे गोपेश्वर (चमोली)	01372-252226 पी०पी०
6	उधमसिंह नगर	जिला पंचायत परिसर प्रथम तल रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	05944-241255 पी०पी०
7	नैनीताल	हरिनिवास मिडिल अयारपाटा मल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड-263001	05942-237781
8	अल्मोड़ा	गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा। पिनकोड-263601	05962-233886
9	पिथौरागढ़	उपाध्याय भवन, टकाना रोड पिथौरागढ़। पिनकोड-262522	05964-228251 पी०पी०

परिशिष्ट ''ङ.''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :-

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूं।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूं।

(3) सहायक निदेशक, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढवाल)।

राज्य स्तरीय कार्यालय :-

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, वन विकास निगम नरेन्द्रनगर (अस्थायी मुख्यालय, देहरादून)।

(2) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।

परिशिष्ट ''च''

(प्रस्तर-10.1.1(ख) में सन्दर्भित)

लेखेवार अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

क्र०सं०	संस्थाओं का नाम	01 अप्रैल, 06 को प्रा०शेष	वर्ष में आरोपित	योग	वर्ष में निस्तारण	31 मार्च, 07 को अवशेष
1	नगर निगम	5715	--	5715	--	5715
2	नगर पालिकायें	15197	810	16007	1450	14557
3	नगर पंचायतें	4446	593	5039	539	4500
4	शिक्षण संस्थायें	15313	296	15609	49	15560
5	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं	1179	141	1320	93	1227
6	उत्तराखण्ड राज्य कृ० उ० मण्डी परिषद	100	103	203	24	179
7	क्षेत्र पंचायतें	2238	--	2238	--	2238
8	चैकित्सिक संस्थायें	552	--	552	--	552
9	ट्रस्ट लेखे	188	--	188	--	188
10	विविध लेखे	5341	54	5395	07	5388
11	बेसिक शिक्षा समितियॉं	5122	23	5145	138	5007
12	महाविद्यालय	3932	--	3932	54	3878
13	विकास प्राधिकरण	1360	117	1477	--	1477
14	मन्दिर समितियॉं	240	128	368	37	331
15	म्यूनिनिस्पल फारेस्ट	278	--	278	--	278
16	जिला नगरीय विकास अभिकरण	531	--	531	--	531
17	पालिटेक्निक संस्थायें	245	--	245	--	245
18	इन्जीनियरिंग कालेज	466	174	640	--	640
19	विश्वविद्यालय					
	(क) कुमाऊं विश्वविद्यालय	1370	--	1370	134	1236
	(ख) गढ़वाल विश्वविद्यालय	2639	270	2909	14	2895
20	कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय					
	(क) सामान्य लेखा	1881	333	2214	276	1938
	(ख) फार्म लेखा	4128	--	4128	2164	1964
	योग	**72461**	**3042**	**75503**	**4979**	**70524**

परिशिष्ट ''छ''

प्रान्तीय न्यासों की सूची

(प्रस्तर-11.1 में सन्दर्भित)

1- तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
2- पं० ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
3- पदमा जोशी फण्ड, अल्मोड़ा।
4- लक्ष्मी देवी मैडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
5- हरिनन्दन पुनेठा स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।
6- विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
7- नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलोन, मसूरी।
8- राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।
9- टी०सी० मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।
10- स्टावेल मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
11- गढ़वाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
12- आर० मिस्टिस डे एण्डाउमेंट ट्रस्ट यू०पी०, गढ़वाल।
13- गढ़वाल क्ले मैमोरियल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।
14- राय महावीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
15- चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
16- प० तारादत्त खण्डूरी, स्कारलशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
17- ठाकुर शालिग्राम सिंह परमार स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
18- गोविन्द पाठशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
19- विक्ट्री मैमोरियल गढ़वाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।
20- श्रीमती सुशीला काला छात्रवृत्ति न्यास, रुद्रप्रयाग।
21- कुमाऊं एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।
22- बच्चा सीडसइण्डिजेण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।
23- रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।
24- बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, नैनीताल।
25- राधेहरि स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, उधमसिंह नगर।
26- लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजुकेशन एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
27- राय साहब पं० नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कारशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
28- श्री संकट मोचन हनुमान मन्दिर हनुमानगढ़, नैनीताल।
29- श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।

30- टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डाउमेंट, रुड़की।
31- विजयानगरम् स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।
32- फेयरलो मैमोरियल फण्ड।
33- कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।
34- सुल्लीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट।
35- जनरल अप्रैंटिस फण्ड, रुड़की वर्कशाप।
36- बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।
37- फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।
38- गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।
39- सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।
40- सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रुड़की।
41- रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट।
42- गवर्नमेन्ट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।
43- लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
44- शीलप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।
45- श्रीमती सरस्वती विष्ट स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढ़वाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

परिशिष्ट''ज''

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद सितारगंज	2004-05	--	--	--	--	20935	15000	--	--	35935
2	नगर पालिका परिषद किच्छा	2004-05	--	284736	--	--	180922	488164	33296	--	987118
3	नगर पालिका परिषद रुद्रपुर	2004-05से 2005-06	--	31060	--	--	632500	--	--	--	663560
4	नगर पालिका परिषद बाजपुर	2005-06	--	351960	--	--	--	148720	--	--	500680
5	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़	2003-04से 2005-06	--	--	--	--	93948	--	--	--	93948
6	नगर पालिका परिषद टनकपुर	2004-05 2005-06	--	--	--	--	369508	--	--	--	369508
7	नगर पालिका परिषद गोपेश्वर	2004-05 2005-06	--	304200 302000	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	304200 302000
8	नगर पालिका परिषद पौड़ी	2005-06	--	--	--	--	12540	--	--	--	12540
9	नगर पालिका परिषद गदरपुर	2004-05	--	742578	--	348432	599388	39875	--	--	1730273
10	नगर पालिका परिषद दुगड्डा	2005-06	--	--	--	175079	11193	15020	--	--	201292
11	नगर पालिका परिषद कोटद्वार	2005-06	--	--	--	--	216960	--	--	--	216960
12	नगर पालिका परिषद मसूरी	2004-05से 2005-06	-- --	-- 37440	-- --	-- 120854	575850 --	-- --	-- --	-- --	757850 158294
13	नगर पालिका परिषद ऋषिकेश	2005-06	--	69612	--	--	--	--	--	--	69612
14	नगर पालिका परिषद काशीपुर	2002-03से 2003-04	--	214977	--	--	705376	182085	--	--	1102438
15	नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	2005-06	--	270100	--	--	--	--	--	--	270100
16	नगर पालिका परिषद नई टिह्‌री	2005-06	--	3274080	--	--	52740	--	--	--	3326820
17	नगर पालिका परिषद श्रीनगर	2005-06	--	38000	140400	--	--	--	--	--	178400
18	नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा	2005-06	--	2428291	--	--	--	--	--	--	2428291
19	नगर पालिका परिषद काशीपुर	2004-05से 2005-06	--	59948	--	--	174208	135598	--	--	369754
20	नगर पालिका परिषद नैनीताल	2004-05	--	192352	--	--	1812943	--	--	--	2005495
21	नगर पालिका परिषद भवाली	2004-05	--	8997	--	--	--	--	--	--	8997
22	नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी	2005-06	--	140736	--	--	--	--	--	--	140736
	योग	--	--	8751267	140400	644365	5459011	1024462	33296	--	16052801

नगर पंचायतें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नगर पंचायत हरबर्टपुर	2005-06	--	4200	--	--	--	--	--	--	--	4200
2	नगर पंचायत शक्तिगढ़	2004-05	--	305097	--	--	--	100243	--	--	--	405340
3	नगर पंचायत चम्पावत	2004-05से 2005-06	--	502855	42255	--	14000	--	--	--	--	559110
4	नगर पंचायत धारचूला	2005-06	--	--	13768	--	--	--	--	--	--	13768
5	नगर पंचायत डीडीहाट	2002-03से 2005-06	3723	16922	117639	--	--	--	--	--	--	138284
6	नगर पंचायत बड़कोट	2005-06	1000	--	--	--	--	--	--	--	--	1000
7	नगर पंचायत रुद्रप्रयाग	2004-05	--	--	--	--	52175	--	--	--	--	52175
8	नगर पंचायत मुनि की रेती	2005-06	--	15881	--	--	70741	--	--	--	--	86622
9	नगर पंचायत चम्बा	2005-06	215	38480	--	--	--	--	--	--	--	38695
10	नगर पंचायत देवप्रयाग	2005-06	--	176775	--	--	--	--	--	--	--	176775
11	नगर पंचायत कीर्तिनगर	2005-06	--	12600	--	--	--	--	--	--	--	12600
12	नगर पंचायत लालकुंआ	2005-06	--	9450	--	--	8700	--	--	--	--	18150
13	नगर पंचायत कालीढुंगी	2005-06	--	3595	--	--	461111	43458	--	--	--	508164
14	नगर पंचायत भीमताल	2005-06	--	30862	--	--	500	--	--	--	--	31362
15	नगर पंचायत लक्सर	2005-06	--	--	--	--	2006	--	--	--	--	2006
16	नगर पंचायत शक्तिगढ़	2005-06	--	506853	--	--	15300	--	--	--	--	522153
17	नगर पंचायत केलाखेड़ा	2004-05से 2005-06	--	499028	--	203804	--	45760	--	--	--	748592
	योग		4938	2122598	173662	203804	624533	189461	--	--	--	3318996

वन निगम

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वन विकास निगम	2001-02 से 2003-04	--	--	647713	--	26350704	--	--	--	--	26998417
	योग		--	--	647713	--	26350704	--	--	--	--	26998417

हायर सेकेण्ड्री/इण्टर कालेज

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	बी०डी० हायर सेकेण्ड्री स्कूल भगवानपुर (रुड़की)	2005-06	--	9425	--	--	---	--	--	--	--	9425
	महात्मा गॉधी इण्टर कालेज हल्द्वानी	2001-02से 2004-05	--	--	--	25000	35850	--	--	--	--	60850
	ए०बी० इण्टर कालेज हल्द्वानी	2001-02से 2004-05	883	2784	--	--	--	--	--	--	--	3667
	योग		883	12209	--	25000	35850	--	--	--	--	93942

कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यप-हरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताएँ	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि उत्पादन मण्डी समिति किच्छा	2005-06	--	--	--	--	231676	--	--	--	231676
2	कृषि उत्पादन मण्डी समिति खटीमा	1999-00से 2005-06	--	67052	--	--	1376794	--	--	--	1443846
3	कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज	2004-05	--	--	--	--	1851313	--	--	--	1851313
4	कृषि उत्पादन मण्डी समिति गदरपुर	2005-06	--	--	--	--	1587923	--	--	--	1587923
5	कृषि उत्पादन मण्डी समिति रुद्रपुर	2005-06	--	--	--	--	10785498	--	--	--	10785498
6	कृषि उत्पादन मण्डी समिति हरिद्वार	2005-06	--	--	--	--	2383	--	--	--	2383
7	कृषि उत्पादन मण्डी समिति कोटद्वार	2005-06	--	--	--	--	71890	--	--	--	71890
8	कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी	2005-06	--	--	--	--	3040479	1700	--	--	3042179
9	कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी	2004-05	--	57476	--	--	--	--	--	--	57476
	योग		--	124528	--	--	18947956	1700	--	--	19074184

उत्तरांचल लोक सेवा अभिकरण

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यप-हरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताएँ	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उत्तरांचल लोक सेवा अभिकरण, देहरादून विशेष सम्परीक्षा	2005-06	--	409881	--	--	--	--	--	--	409881
	योग		--	409881	--	--	--	--	--	--	409881

विकास प्राधिकरण

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	2004-05	--	1563348	--	--	433943	--	--	--	--	1997291
2	नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल।	2003-04से 2004-05	--	165301	--	--	--	11800	--	--	--	177101
	योग			1728649	--	--	433943	11800	--	--	--	2174392

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी।	2004-05	--	3763679	--	--	88695	127394	317111	--	--	4296879
	योग		--	3763679	--	--	88695	127394	317111	--	--	4296879

विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)	2003-04	--	2557498	327282	--	321416	--	21895109	--	--	20101305
	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा)	2002-03	113899	457003	--	--	18039529	176987	--	--	--	18837418
	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)	2002-03	93823	338040	183226	1803705	7204026	54051	181928416	--	16257682	207862969
	योग		207722	3352541	510508	1803705	25614971	231038	203823525	--	16257682	251801692

मन्दिर समितियाँ

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगोत्री मन्दिर समिति उत्तरकाशी	2005-06	--	7069	--	--	50180	--	--	--	--	57249
	बद्रीनाथ मन्दिर समिति	2004-05	--	2328230	--	--	--	--	315216	--	--	2643446
	योग		--	2335299	--	--	50180	--	315216	--	--	2700695

सारांश

क्र० सं०	लेखे का नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषदें	--	8751267	140400	644365	5459011	1024462	33296	--	--	16052801
2	नगर पंचायतें	4938	2122598	173662	203804	624533	189461	--	--	--	3318996
3	विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षा	207722	3352541	510508	1803705	25614971	231038	203823525	--	16257682	251801692
4	मन्दिर समितियाँ	--	2335299	--	--	50180	--	315216	--	--	2700695
5	विकास प्राधिकरण	--	1728649	--	--	433943	11800	--	--	--	2174392
6	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	--	--	3763679	--	88695	127394	317111	--	--	4296879
7	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	--	124528	--	--	18947956	1700	--	--	--	19074184
8	उत्तरांचल लोक सेवा अभिकरण (विशेष सम्परीक्षा)	--	409881	--	--	--	--	--	--	--	409881
9	वन विकास निगम	--	--	647713	--	26350704	--	--	--	--	26998417
10	हायर से०/ इण्टर कालेज	883	12209	--	25000	--	--	35850	--	--	73942
	योग	213543	18836972	5235962	2676874	77569993	1585855	204524998	--	16257682	326901879

उत्तराखण्ड शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग-2

(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

वर्ष

2006-07

प्रतिवेदकः निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर,उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-2

(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

(1)-प्रशासनिक खण्ड

क्र०सं०	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1-	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1	1
2-	सम्प्रेक्षाधीन लेखे	3.1-3.2	1
3-	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1-4.2	2-3
4-	प्रभागीय आय-व्ययक	5.1 से 5.3	3-4
5-	विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1 से 6.2	4
6-	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1-7.3	4-5
7-	प्रभाग की जनशक्ति	8	5
8-	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	5-6
9-	सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10-	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	6
11-	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1 से 2.2	6-7
12-	निष्कर्ष	11	7
(2)- कार्यकारी खण्ड		-	8-30
(3)-परिशिष्ट,क,ख,ग,घ व अन्य		-	31-43

प्रशासनिक खण्ड

1- उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 एवं उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा इस विभाग के सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जा रही हैं। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 8(3) के अधीन प्रति वर्ष वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखा जा रहा है तथा वर्ष 2005-2006 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन माह अक्तूबर 2006 में विधान सभा के पटल पर रखा गया था। इसी क्रम में इस प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2006-07 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 तथा पंचायत राज नियमावली 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली 1999 कें नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है। सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा-परीक्षा अधिनियमों, नियमावलियों सहकारिता विभाग पंचायत राज विभाग तथा नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आधार पर की जाती है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष 2006-07 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं की संख्या 2549 और पंचायत राज संस्थाओं की संख्या 7391 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क" भाग "एक"** में दिये गये है।

3.2 सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट "ख"** में दी गयी है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य -

4.1 राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ-साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही हैं और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरुप किये जाते हैं और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही हैं अथवा नहीं, इसकी समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य संस्था के वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व है।

4-2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप:

1- सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं, उद्योग संस्थाओं, दुग्ध संस्थाओं, आवास संस्थाओं, मत्स्य संस्थाओं, गन्ना संस्थाओं व पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।

4- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

5- सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय-व्यय, रोकड पत्र एवं लाभ-हानि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।

6- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरुप सहकारी संस्थाओं को उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

7- सहकारी संस्थाओं में नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप अशोध्य व संदिग्ध परिसम्पत्तियों का आंकलन करना।

8- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।

9- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्ग दर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

10- विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियाँ आयोजित करना।

11- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।

12- सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत प्राधिकारियों के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरुपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को सूचित करना।

13- उपर्युक्त सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

14- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

5- प्रभागीय आय-व्ययक:-

5.1- यह प्रभाग उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन हैं और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक है।

5.2- इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

5.3- लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य व वर्तमान समय में नाम मात्र स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता हैं जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (**परिशिष्ट 'ग'**) उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है।

6- विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय:-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् हैं:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय (रूपये)	आरोपित सम्परीक्षा शुल्क (रू०)
1-	2006-07	26546142.00	8727037.00

6.1- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

7-1 विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था:-

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शा०सं० 5058/ वि०शा०स०/ 2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रुप में कार्यरत हैं जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि-स्तरीय है:-

(1) **मुख्यालय स्तरीय।**

(2) **जिला स्तरीय।**

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ"** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी हैं जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ-1"** में दी गयी है।

7.2-1- मुख्यालय स्तर:-

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित हैं जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। सम्प्रति विभागाध्यक्ष श्री यशपाल सिंह निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड है।

7.2-2- मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-8 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, सन्तुलन पत्रों का प्रमाणीकरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3- जनपद स्तरीयः-

लेखा परीक्षाधीन इकाईयां राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। सभी 13 जनपदों में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा के जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी है। लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त किये गये हैं जो सम्बन्धित जनपद में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते है।

8- प्रभाग की जनशक्तिः-

वर्ष 2006-07 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा हैः-

क्र०सं०	अधिकारी/ कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं०	रिक्त पद सं०
1-	समूह "क"	04	02	02
2-	समूह "ख"	18	14	04
3-	समूह "ग" :-			
	सहा०ले०प०अ०	35	35	0
	ज्ये०ले०परीक्षक ग्रेड-1	9	0	9
	ज्ये०ले०परीक्षक	221	37	184
	लेखा परीक्षक	55	12	43
	योग लेखा परीक्षा कर्मी-	320	84	236
	लिपिक वर्ग	60	18	42
4-	समूह "घ"	35	11	24
-	योग	437	129	308

9- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्यः-

वर्ष 2006-07 में लेखा परीक्षा कर्मियों के लगभग 74 प्रतिशत पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 9940 लेखाओं में से 2589 चालू लेखों तथा 4988 अवशेष वर्षो के लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों, जिला सहकारी दुग्ध संघो की लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की गयी है।

10.1-1- सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें:-

(क) सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में सम्परीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू० 33410311.08 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि
1-	व्यपहरण	9045063.39
2-	अनियमित/अधिक भुगतान	9561103.55
3-	आर्थिक क्षति	7039682.05
4-	राजस्व हानि	76539.20
5-	विविध अनियमितताये	7687922.89
6-	योग	33410311.08

10.1-2- विशेष सम्परीक्षाऐं:-

प्रभाग के लेखा परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणों की विशेष जांच शासन की स्वीकृति से अथवा प्रत्यक्ष शासनादेश से सम्पादित की। वर्ष 2006-07 के दौरान वैधनाथन कमेटी की संस्तुति को प्रदेश में लागू किये जाने के लिए पैक्स (प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों) की विशेष लेखा परीक्षा शासन व नाबार्ड के निर्देशानुसार करायी जा रही है।

10.2-1- सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :-

वर्ष 2006-07 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी:-

01 अप्रैल, 2006 को प्रारम्भिक शेष रू०		30,93,504.00
वर्ष में स्थापित मांग रू०	(+)	86,04,808.00
योग रू० -		1,16,98,312.00
वर्ष में समाहरण रू० –	(-)	44,58,975.00
31 मार्च, 2007 को बकाया रू० -		72,39,337.00

10.2-2- उपर्युक्तानुसार वर्ष 2006-07 में पूर्ववर्ती वर्षो सहित अवधारित लेखा परीक्षा शुल्क रु० 1,16,98,312.00 में से दिनांक 31 मार्च, 2007 तक कुल रू० 4458975.00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं से राजकीय कोषागार में जमा कराया जा चुका हैं जो वर्ष में कुल मांग का 38.12 प्रतिशत है।

11- निष्कर्ष:-

इस प्रतिवेदन के साथ **संलग्न परिशिष्ट "क"** से स्पष्ट हैं कि इस प्रभाग को वर्ष 2006-07 में 2549 सहकारी संस्थाओं 7391 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा करनी थी। जनशक्ति की कमी के कारण बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर की परिधि में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए 827 सहकारिता एवं 1762 पंचायतों की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10 (1) में वर्णित रुपये 33410311.08 की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण दुर्निवियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट है।

(यशपाल सिंह)
निदेशक।

कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वित्तीय वर्ष 2006-07)

वर्ष 2006-07 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1-	जिला सहकारी बैंक लि०	4059348.39
2-	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि०	4571336.00
3-	जिला भेषज एवं सहकारी विकास संघ लि०	1742.00
4-	जिला सहकारी विकास संघ लि०	491259.83
5-	किसान सेवा/दीर्घा०/साधन समितियाँ	2618764.75
6-	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०/समितियाँ	13711261.55
7-	गन्ना सहकारी समितियाँ	2288290.86
8-	ग्राम पंचायते	5668307.70
-	योग	33410311.08

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है।

:: वर्ष 2006-07 में सम्पन्न विशेष सम्परीक्षाएं ::

जिला सहकारी बैंक लि०, पिथौरागढ
(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- व्यक्तिगत बचत खातों का रु० 430000.00 का भुगतान केवल कोषवही में दर्शाकर रोकड का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर - 1(350)

2- संग्रहित चैको का बिना भुगतान प्राप्त किये रु० 32419.00 का भुगतान दर्शाकर रोकड का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर - 2(351)

3- शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वयं के खाते में फर्जी ऋण रु० 972000.00 दर्शाकर रोकड का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर -3(352)

4- बचत खाताधारको के खातो में अवशेष न होते हुए भी रु० 60000.00 का भुगतान दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर -8(355)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

5- नकद-साख के ऋणियों को स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक ऋण रु० 846877.00 वितरित कर बैंक के धन का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर -6(356),354

आर्थिक क्षति:-

6- बचत खाता संख्या 1357 में रु० 5567.00 अधिक सूद का भुगतान कर बैंक को आर्थिक क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर -357

7- अपेक्षित कैश रिजर्व हेतु उपलब्ध धन होते हुए भी ऋण प्राप्त कर उस पर सूद का भुगतान रु० 124199.00 करने से बैंक को आर्थिक क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर -34

जिला चमोली सहकारी बैंक लि० गोपेश्वर

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- पंचायत उद्योग की धनराशि को बिना साक्ष्य प्रमाणक के व्यक्तिगत खाते में हस्तांत्रण करके रु० 78923.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर -147

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- बचत खातों में जमा धनराशि रु० 106965.39 से अधिक अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-99, 265, 307

3- स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक ऋण भुगतान रु० 80000.00 की अनियमितता की गई।

भाग (अ) प्रस्तर- 101

4- बिना बन्धक पत्रों के ऋण भुगतान रु० 95794.00 किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर- 108, 266, 281

5- बचत खातेदार के खाते को डेविट किये बिना रु० 35000.00 का अनियमित भुगतान किया।

भाग (अ) प्रस्तर -146

आर्थिक क्षति:-

6- शाखा प्रबन्धक द्वारा स्वंय के खाते को रु० 7604.00 से डेबिट रखा गया। इस राशि पर ब्याज की वसूली न होने से बैंक को आर्थिक क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर-197

जिला सहकारी बैंक लि० हरिद्वार जनपद हरिद्वार

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- खाताधारक के खाते से फर्जी चेकों द्वारा भुगतान दर्शाकर रु० 72000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-235

विविध अनियमिततायें:-

2- उपभोक्ता ऋण की वसूली दिखाने हेतु रु० 1062000.00 की संक्रमण प्रविष्टि द्वारा पुन: ऋण वितरित करना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-72/235

3- भवन ऋण के बकायेदार सदस्य को उपभोग ऋण रु० 50000.00 वितरित किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-71

उत्तराखण्ड कोआपरेटिव बैंक लि० ऋषिकेश जनपद देहरादून

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- दैनिक जमा योजना के विरुद्ध 77 खातेदारों के नाम से बैंक कर्मचारियों द्वारा स्वंय ऋण लेकर रु० 402677.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर -1

2- डेली डिपोजिट स्कीम के एजेण्ट द्वारा बैंक में कम धनराशि जमा कर रू० 470.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर -2 से 4

अधिक/अनियमित भुगतान:-

3-बकायादारो से बिना वसूली किये हस्तान्त्रण प्रविष्टि द्वारा नया ऋण रु० 1512650.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर -5

4-बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों के रिश्ते दारों को रिजर्व बैंक के निर्देशों के विपरीत ऋण रु० 1212500.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर -6

राजस्व क्षति:-

5- टी०डी०एस० की कटौती रु० 2178.00 न करने से राजस्व क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर -7

विविध अनियमिततायें:-

6- एन०पी०ए० का कम आंकलन, वसूली तथा ब्याज की अशुध्द गणना करने से रु० 1440861.00 की विविध प्रकार की अनियमितता पायी गयी।

भाग (ब) प्रस्तर-8 से 14

जिला भेषज विकास एवं क्रय विक्रय सहकारी संघ लि० चम्पावत

राजस्व क्षति:-

(वर्ष 2000-01 से 2004-05)

1- जडी बूटी निकासी शुल्क रु० 1742.00 कम वसूल करने से राजस्व हानि हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-2, 5, 7, 10, 11

जिला सहकारी विकास संघ लि० हरिद्वार

(वर्ष 2003-04)

अधिक/अनियमित भुगतानः-

1- बफर गोदाम के शटर की मरम्मत का खर्च रु० 650.00 मालिक मकान के नाम न दिखा कर संस्था कोष से अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर- 3

2- संस्था कोष से अग्रिम भुगतान रु० 15000.00 बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर- 2

3- दूरभाष का निज हित में प्रयोग पर रु० 14945.00 का व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर- 4

4- फोटो स्टेट व कोरियर व्यय रु० 29.20 प्रमाणको से अधिक भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-11

5- उर्वरक परिवहन व्यय रु० 132582.63 अधिक भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-12

आर्थिक क्षतिः-

6- संस्था कोष से अग्रिम दी गई राशि पर रु० 8815.00 सूद से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-2(1)

7- प्रबन्ध व्यय रु० 244732.00 निर्धारित सीमा से अधिक करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-2(1)

यातायात और पर्यटन विकास सहकारी संघ लि० मुनिकीरेती

(वर्ष 2004-05)

व्यपहरणः-

1- बिना पुष्टि प्रमाण पत्रों के रु० 16146.00 का भुगतान दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-6

विविध अनियमितताऐं:-

2- यात्रा भत्ता दयेकों में नियमानुसार देय धनराशि के अतिरिक्त रु० 14610.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर- 1 से 4

3- यात्रा भत्ता व्यय रु० 32735.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग (ब) प्रस्तर-5

4- "मोटर मालिकान सहायता कोष" से रु० 11015.00 जलपान व्यय का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर- 7

किसान सेवा/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां

सहिया दीर्घाकार बहुउद्देश्य सहकारी समिति लि० जनपद देहरादून

(वर्ष 2003-04 एवं 2004-05)

व्यपहरण:-

1- कैश रसीद से प्राप्त रु० 544.00 की कैश बुक में प्रविष्टि न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-17

2- खाद बिक्री कम जमा कर रु० 2098.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-36

अधिक/अनियमित भुगतान:-

3- सचिव द्वारा निबन्धक के पत्रांक सी-2290/अधि०/दिनांक 10 जनवरी, 1995 के निर्देशों के विपरित रु० 104152.00 व्यवस्था व्यय अधिक किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर-20

आर्थिक क्षति:-

4- सचिव द्वारा अनियमित रुप से रोकड अपने पास रोक कर समिति को सूद रु० 13384.00 की क्षति हुई थी।

भाग (ब) प्रस्तर-18, 19

काण्डोई भरम दीर्घाकार बहुउद्देश्य सहकारी समिति लि० जनपद देहरादून

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- गौशाला को समिति का कार्यालय दर्शाकर किराया भुगतान रु० 9000.00 कर धन का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-1

विविध अनियमिततायें:-

2- अनुदान प्राप्त धनराशि रु० 340000.00 का नियमानुसार उपभोग न कर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान ऋण में जमा किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-2

किसान सेवा सहकारी समिति लि० होरावाला, जनपद देहरादून

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- सदस्यों से वसूल ऋण राशि को रोकड बही में अंकित न कर धनराशि रु० 1050.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-6

2- धन प्राप्ति रसीदों पर अपरलेखन व कटिंग करके रोकड बही में रु० 14000.00 कम जमा कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

3- रोकड पुस्तक में वास्तविक धनराशि से बैंक जमा अधिक खारिज कर धनराशि रु० 53000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर- 10

4- सचिव द्वारा स्वंय को अग्रिम धनराशि भुगतान दर्शाकर रु० 11400.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर- 11

5- खाद की नकद बिक्री रोकड पुस्तक में दर्ज न कर धनराशि रु० 16060.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर- 24

6- डी०ए०पी० खाद की बिक्री रोकड पुस्तक में दर्ज न कर धनराशि रु० 7095.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-25

7- एन०पी०के० खाद के 18 बैग स्टाक से खारिज कर, बिक्री का धन रोकड पुस्तक में न दर्ज कर रु० 7933.50 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-26

8- मिनी बैंक की रोकड बही में रोकड शेष कम दर्शित कर रु० 11842.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर- 35

9- समिति कैश बुक में प्रमाणक से दो बार बैंक जमा दर्शाकर रु० 10000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर- 40

10- डोवरी मिनी बैंक की रोकड बही में, रुद्रपुर मिनी बैंक द्वारा जमा रु० 21702.00 का लेखा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-49

11- रुद्रपुर मिनी बैंक द्वारा जमा की गयी धनराशि को डोवरी मिनी बैंक ने अपने रोकड पुस्तक में दर्ज न कर रु० 152506.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-50

12- आहरण पत्र में अंकित धनराशि से अधिक भुगतान दर्शाकर धनराशि रु० 10030.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-53

13- रोकड शेष कम दर्शित कर धनराशि रु० 5600.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-55

14- बिना ऋण वितरण के धनराशि का भुगतान कर धनराशि रु० 11000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-57

15- मिट्टी तेल की बिक्री कैश बुक में कम दर्शित कर धनराशि रु० 8190.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-69

किसान सेवा सहकारी समिति लि० निरंजनपुर, जनपद हरिद्वार
(वर्ष 2001-02 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- व्यापारिक स्टाक के व्यपहरण को छुपाने के लिये रु० 10000.00 की फर्जी अमानत प्राप्त तथा बैंक जमा का फर्जी लेखा करके व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

2- मिनि बैंक प्रभारी द्वारा विभिन्न तिथियों में रु० 120000.00 की राशि कैश बुक में कम दर्शा कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5 (1)

अनियमित/अधिक भुगतान:-

3- वितरित अग्रिम धनराशि रु० 6928.50 की वसूली न किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-6 (1)

4- मिनि बैंक के खातेदार को रु० 1000.00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

5- खातेदार को रु० 1000.00 भुगतान का लेखा खाते में न दर्शाया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-8

6- मिनी बैंक खातेदार को रु० 200.00 भुगतान कर उसके खाते में प्रविष्टि न किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-9

7- मिनी बैंक खातेदार को जमा शेष धनराशि से अधिक रु० 2500.00 का भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10

आर्थिक क्षतिः-

8- पावना धनराशियों पर ब्याज रु० 125784.00 की वसूली न करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-4, 6

विविध अनियमितिताः-

9- वैलेन्स बुक में सन्तुलन पत्र की तुलना में निक्षेप रु० 365552.00 कम दर्शित किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-16

मोहनावाला साधन सहकारी समिति लि० जनपद हरिद्वार

(वर्ष 2003-04)

व्यपहरणः-

1- रोकड शेष कम दर्शित कर रु० 40.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

2- बिना पुष्टि पत्रों के सन्तुलन पत्र में दीगर पावना रु० 106125.35 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-29

विविध अनियमिततायेंः-

3- कैश बुक तथा सन्तुलन पत्र के आय व्यय में रु० 19446.80 का अन्तर अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-4

बादशाहपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि० जनपद हरिद्वार
(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- डी०ए०पी० खाद व गेहूं बीज की बिक्री धन रु० 5170.00 जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4, 7

2- जिंक सल्फेट की बिक्री रु० 450.00 कम जमा कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-6

3- कैश रसीद से प्राप्त धनराशि कैश बुक में रु० 200.00 कम अंकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-8

4- कैश रसीद से प्राप्ति राशि रु० 10080.00 की कैश बुक में प्रविष्टि न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) पस्तर-9

5- स्वंतत्रता दिवस पर व्यय दो बार दिखा कर रु० 470.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10

6- सफाई कर्मचारी को माह जून 2004 का दो बार भुगतान रु० 250.00 कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-11

7- भवन मरम्मत पर व्यय रु० 9600.00 का प्रमाणक प्रस्तुत न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-12

8- डाक व्यय में प्रमाणक से रु० 1725.00 अधिक व्यय दिखा कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-14, 15

9- स्टेशनरी व अदालती व्यय के प्रमाणकों के बिना रु० 9623.00 का भुगतान दर्शाकर कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-16, 17

राजस्व हानि:-

10- श्रोत पर आयकर/ सरचार्ज रु० 2929.00 की कटौती न करने से हानि हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-13

कुवाली साधन सहकारी समिति लि० जनपद अल्मोडा
(वर्ष 2004-05)

व्यपहरण:-

1- सचिव द्वारा खाद स्टाक रु० 1943.00 का कम कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

आर्थिक क्षति:-

2- जमा अमानत राशि से रु० 737.00 अधिक भुगतान करने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-3

विविध अनियमिततायें:-

3- संतुलन पत्र में मिनी बैंक का दायित्व रु० 31212.39 से कम दर्शित किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर-1

4- बैंक अमानत राशि रु० 2722.00 अनियमित रुप से हानि में दर्शित की गई।

भाग (ब) प्रस्तर-4

5- सदस्यों का हिस्सा व अमानत का दायित्व संतुलन पत्र में कुल रु० 72278.31 अधिक दर्शित किया गया है।

भाग (ब) प्रस्तर-5

देवलीखान साधन सहकारी समिति जनपद अल्मोडा
(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण :-

1- खाद का स्टाक रु० 45004.50 मूल्य का कम कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-1

2- खाद की बिक्री कैश बुक में दर्ज न कर रु० 1677.50 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

3- प्रबंधकीय व्यय मद में आहरित रकम कैश बुक में दर्ज न कर रु० 3300.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3 व 4

साधन सहकारी समिति लि० शहरफाटक जनपद अल्मोडा
(वर्ष 2004-05 से 2005-06)

व्यपहरण:-

1- धन प्राप्ति पत्र से कैश बुक में कम जमा कर रु० 6510.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-1 व 2

2- तहसील कर्मियों द्वारा की गई वसूली रु० 1425.00 को रोकड बही के आय पक्ष में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

3- बिना बिक्री किये रु० 2850.00 का उर्वरक स्टाक खारिज कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

साधन सहकारी समिति लि० असेड सिमली वि० क्षेत्र- थराली जनपद चमोली
(वर्ष 1988-89 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- खाद स्टाक कम अंकित कर रु० 188.70 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

2- कैश वैलेन्स तथा स्टाक चार्ज में न देकर रु० 3208.75 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10,11

3- कैश बुक में कम कैश जमा दर्शित कर रु० 45.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-12

4- कैश वैलेन्स चार्ज में न देकर कर रु० 7161.95 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-22

अनियमित/अधिक भुगतान:-

5- बिना संचालक मंडल की स्वीकृति के सदस्यों के हिस्से रु० 4200.00 वापस किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-14

6- माह मार्च 2004 में कोयला खरीद पर रु० 1800.00 व्यय किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-17

7- सदस्यों से पिछला बकाया ऋण रु० 36236.00 की वसूली किये बिना उन्हें पुन: ऋण वितरण किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-18, 20

8- बिना विभागीय स्वीकृति के वसूली सहायक की नियुक्ति कर उसे रु० 6000.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-21

नोगांव दीर्घाकार बहुउददेश्य सहकारी समिति लि० वि०क्षे०-नोगांव, उत्तरकाशी (वर्ष 2004-05)

व्यपहरण:-

1- धनराशि आय पक्ष में अंकित न कर रु० 800.00 व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

2- बिक्रीत खाद स्टाक से अधिक स्टाक खारिज कर रु० 17757.00 व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-12,13

3- चावल स्टाक बिक्री से अधिक खारिज कर रु० 686.00 व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-16

4- फर्जी बैंक जमा दर्शाकर रु० 4000.00 व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-19

5- कैश बुक के व्यय पक्ष में अधिक योग रु० 5000.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-20

अनियमित/अधिक भुगतान:-

6- दीगर पावना रु० 85598.00 बिना पुष्टि के दर्शित किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-11

7- कार्य विवरण पत्र में हिस्सा रु० 140616.00 कम दर्शित किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-30

रामासिराई दीर्घाकार बहुउददेश्य सहकारी समिति लि० विकास क्षेत्र- पुरोला जनपद उत्तरकाशी

(वर्ष 2004-05)

व्यपहरण:-

1- स्टेशनरी के बिल से अधिक भुगतान कर रु० 1000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-14

2- बिना प्रमाणक के जलपान व्यय का भुगतान रु० 1000.00 कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-15

3- बिना यात्रा देयक के भुगतान रु० 840.00 कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-16

4- कैश बुक के योग गलत दर्शित कर रु० 20000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-22

5- खाद बिक्री का मूल्य रु० 72820.00 जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-23

6- खाली बोरी बिक्री का मूल्य रु० 740.00 जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-35

7- पल्लेदारी का अधिक भुगतान रु० 1580.00 जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-36

8- अमानत रु० 10950.00 अधिक भुगतान दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-24

अनियमित/अधिक भुगतान:-

9- सचिव को यात्रा देयक का अनियमित रूप से अधिक भुगतान रु० 2230.00 किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10

10- यात्रा देयक का अनियमित रूप से अधिक भुगतान रु० 1057.00 किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-11

विविध अनियमिततायें:-

11- श्रीमती शोभा देवी के ऋण प्रार्थना पत्र पर श्रीमती प्रतिमा को ऋण रु० 25000.00 दिया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-19

12- बैंक अमानत बचत खाता से रु० 20000.00 आहरण कर अल्पकालीन ऋण खाते में जमा किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-8

13- सदस्यों को अधूरी ऋण पत्रावलियों पर मध्यकालीन ऋण रु० 305000.00 दिया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-17

14- गत वर्षो का दीगर पावना रु० 63931.00 की वसूली न होना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-31

:: दुग्ध अनुभाग ::

चमोली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० सिमली

(वर्ष 1995-96 से 2004-05)

व्यपहरण;-

1- 15 बक्से रु० 522.00 की दर से रु० 7830.00 की खरीद को स्टाक पंजी में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-19

2- खाते में अमानत जमा शेष न होने पर भी रु० 500.00 का नकद भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

3- स्टाक बुक में रु० 5074.55 मूल्य का स्टाक कम दर्शित का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

4- 47.50 कि०ग्रा० घी दर रु० 115.00 को स्टाक से अधिक खारिज कर कुल मूल्य रु० 5462.50 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-9

5- पशु आहार क्रय करना दर्शित कर रू० 3159.50 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-12 (1)

6- पौध क्रय करना दर्शित कर रु० 4500.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-29

7- बैंक से आहरित धनराशि रु० 23800.00 का लेखा कैश बुक में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-30

8- पशु आहार का बिक्री धन रु० 3225.00 को कोषवही में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-13

9- फर्जी वेतन भुगतान रु० 800.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-48 (पूरक आ०)

10- मानदेय रु० 467.00 अधिक भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-36

11- कोषवही में रु० 12736.95 दो बार भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-49 (पूरक आ०)

12- रोकड शेष रु० 29910.00 चार्ज में न देकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-70

13- रु० 6000.00 के भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न कराये जाने से व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-53 (पूरक आ०)

14- स्टाक से घी व पशु आहार कम कर रु० 4050.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-54

15- व्वायलर बन्द होने की अवधि में रु० 17049.63 का डीजल क्रय दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-137,139

16- ब्वायलर में डीजल की वास्तविक खपत से अधिक डीजल क्रय दर्शा कर रु० 15903.16 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-55, 141-143, 145, 147

17- गाडी मरम्मत के बिल रु० 20043.00 के दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-118

18- बिक्री की धनराशि रु० 28907.60 कैश बुक में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-41-45, 52, 85, 87

19- दुग्ध बिक्री का धन रु० 603609.23 कम जमा कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-41

अनियमित/अधिक भुगतान:-

20- बिना तकनीकी जांच व कोटेशन प्राप्त किये मरम्मत बिलों का भुगतान रु० 35327.00 किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-107

21- सक्षम स्तर से स्वीकृति के बिना कानूनी व्यय रु० 1000.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-61

22- बिना प्रयोजन व स्वीकृति के रु० 440950.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-125

आर्थिक क्षति:-

23- अग्रिम भुगतानों का निर्धारित समय पर समायोजन न किये जाने से संघ को ब्याज रु० 10243.80 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-108, 122

विविध अनियमितता:-

24- बिना लाग बुक भरे 18988.05 लीटर डीजल की खपत मूल्य रु० 55392.60 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-144

25- बिना प्रमाणक व बैंक जमा पर्ची के रु० 279573.75 से एजेण्टों के खातों को क्रेडिट व बैंक खाते को डेविट किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-51(11)

उत्तरकाशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० मातली
(वर्ष 1991-92 से 2002-03)

व्यपहरण:-

1-दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित वस्तुओं का बिक्री धन कोषांकित न करके तथा बिक्री की अपेक्षा स्टाक अधिक खारिज करके एवं प्राप्त दुग्ध स्टाक की आमद कम दर्शित करके कुल रू० 2722361.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-1 वि०प्रति०व्यप०।

अनियमित/अधिक भुगतान:-

2- सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ठेकेदारों के बिलों कुल रू० 2714339.33 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2 वि०प्रति०अनि०भुग०।

आर्थिक क्षति:-

3- दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित वस्तुओं को खराब दर्शाकर, मात्रा कम आंकलित करने से कुल रू० 6166401.80 की संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-3 वि०प्रति०आर्थि०क्ष०।

राजस्व हानि:-

4-टी०डी०एस० की ठेकेदारों के बिलों से कटौती न करने से रु० 69690.20 की राजस्व क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर-3 वि०प्रति०रा०हा०।

पिथौरागढ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

(वर्ष 2004-05)

व्यपहरण:-

1-दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित वस्तुओं का बिक्री धन कोषांकित न करके तथा बिक्री की अपेक्षा स्टाक अधिक खारिज करके एवं प्राप्त दुग्ध स्टाक की आमद कम दर्शित करके कुल रू० 59908.50 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-1 वि०प्रति०व्यप०।

अनियमित/अधिक भुगतान:-

2- सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना, ठेकेदारों के बिलों का कुल रू० 42754.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2वि०प्रति०अनि०भुग०।

आर्थिक क्षति:-

3 दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित वस्तुओं को खराब दर्शाकर,मात्रा कम आंकलित कर विभिन्न प्रकार से कुल रू० 311291.45 की संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर-4 वि०प्रति०आर्थि०क्ष०।

:: गन्ना अनुभाग ::

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० इकवालपुर जनपद हरिद्वार

(वर्ष 1995-96 से 1997-98)

व्यपहरण:-

1- व्यापरिक स्कन्ध की बिक्री जमा न करने एवं स्कन्ध के बिक्री योग्य न रहना दर्शित कर मूल्य रु० 148947.82 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-24

विविध अनियमिततायें:-

2- 31.3.98 को विनियोजन में रु० 47715.87 के अंश प्रमाण पत्र व अन्य पुष्टी प्रमाण पत्र संस्था में उपलब्ध नहीं थे।

भाग (ब) प्रस्तर-17

3- 31.3.98 को बैंक में जमा दर्शायी गयी राशि रु० 65598.13 के पुष्टी पत्र व पास बुक उपलब्ध नहीं थी।

भाग (ब) प्रस्तर-22

4- सदस्यों के जमा अंश धन में रु० 8618.00 का दायित्व कम दर्शित था।

भाग (ब) प्रस्तर-6

5- कार्य विवरण पत्रों की तुलना में सदस्यों पर लगा ऋण रु० 1809868.00 रोकड पत्र पर अधिक दर्शित था।

भाग (ब) प्रस्तर-20

6- कर्मचारियों की अमानतों पर रु० 1568.98 ब्याज कम भुगतान किया गया था।

भाग (ब) प्रस्तर-2

7- कर्मचारी भविष्य निधि पर रु० 15194.00 ब्याज भुगतान हेतु प्राविधान नहीं किया गया था।

भाग (ब) प्रस्तर-2

8- 31.3.98 को रु० 31000.00 के शार्टेज हेतु रोकड पत्र में प्राविधान नहीं किया गया था।

भाग (ब) प्रस्तर-11

9- भूमि एवं भवन पर ह्रास का प्राविधान रु० 159780.06 से कम किया गया था।

भाग (ब) प्रस्तर- 19

::पंचायत अनुभाग::

ग्राम पंचायत- सेवलाकलां, विकास खण्ड- रायपुर, जनपद देहरादून (वर्ष 2004-05)

अनियमित/अधिक भुगतान:-

1- निर्माण कार्य समिति से भुगतान के आदेश प्राप्त किये बिना बैंक से रु० 310664.00 आहरित कर अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-1

2- बिना निर्माण कार्य समिति की संस्तुति प्राप्त किये रु० 293538.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत- कफलना, विकास क्षेत्र- कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- प्रमाणकों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर रु० 14700.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-6

2- भुगतान की रसीद लिये बिना कैश बुक में रु० 5470.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

ग्राम पंचायत- सारकेणा, विकास क्षेत्र-कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- स्टेट बैंक से आहरित धनराशि की कैश बुक में प्रविष्टि न कर रु० 10000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत-गवाणा, विकास क्षेत्र-कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बैंक से आहरित धनराशि रु० 35500.00 के स्थान पर रू० 30000.00 कैश बुक में अंकित कर अन्तर धनराशि रु० 5500.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

विविध अनियमिततायें:-

2- सक्षम अधिकारी से निर्माण कार्य का सत्यापन एवं मापन कराये बिना रु० 200492.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-7

ग्राम पंचायत- थातीडागर, विकास क्षेत्र-कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- स्टाक पंजी में प्रविष्टि किये बिना सीमेन्ट क्रय मद में रु० 14516.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-8

2- फर्जी मस्टररोल तैयार करके कोषबही में रु० 9744.00 कम कर के व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-9

3- जे०ई० द्वारा मूल्यांकित धनराशि से अधिक राशि कैश बुक में दर्ज कर रु० 753.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत- बैजवाडी, विकास क्षेत्र-कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- सामूहिक सिंचाई गूल निर्माण खजूरातोक पर स्वीकृत स्टीमेट से अधिक राशि कैश बुक में कम कर रु० 11170.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत-कुण्डी, विकास क्षेत्र-भिंलगना, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणकों के कैश बुक में रु० 110900.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

विविध अनियमिततायें:-

2- विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराये बिना रु० 34800.00 छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-6

ग्राम पंचायत- बीनाखाल, विकास क्षेत्र- भिंलगना, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणकों के कैश बुक में रु० 274100.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

विविध अनियमिततायें:-

2- विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराये बिना रु० 18555.00 छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत-गिवाली, विकास क्षेत्र- भिंलगना, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1-व्यय प्रमाणकों के बिना कैश बुक में रु० 54000.00 का भुगतान कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

ग्राम पंचायत- तोली, विकास क्षेत्र- भिंलगना, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बैंक से रु० 18000.00 आहरित कर कैश बुक में मात्र 1800.00 अंकित कर रु० 16200.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

2- व्यय प्रमाणकों के बिना कैश बुक में रु० 90800.00 का भुगतान कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5

3- सीमेन्ट का ढुलान भाडा रु० 1900.00 का समुचित प्रमाणक बिना भुगतान कैश बुक में कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-6

विविध अनियमिततायें:-

4- सक्षम प्राधिकारी से कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना रु० 672452.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-8

ग्राम पंचायत- सौला, विकास क्षेत्र- भिंलगना, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बैक पास बुक के अनुसार आहरित रु० 366914.00 के उपयोग सम्बन्धी व्यय प्रमाणक न होने से आहरित धनराशि का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत- पलाम, विकास क्षेत्र-चम्बा, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- कैश बुक में नकद रोकड शेष रू० 52695.00 के स्थान पर रू० 2695.00 अंकित कर रु० 50000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

2- छात्रवृत्ति वितरण का वास्तविक भुगतान रु० 9000.00 के स्थान पर रू० 9900.00 कैश बुक में अंकित कर रु० 900.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

3- मस्टररोल पर मानव दिवस 613 के स्थान पर 648 दर्शाकर 30 दिवसों का रु० 2030.00 अधिक भुगतान कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5

विविध अनियमितताऐं:-

4- सीमेन्ट क्रय रु० 16400.00 के प्रमाणक पर विक्रेता के हस्ताक्षर अंकित न होना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-6

5- निर्माण कार्यो की पुष्टि में इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम०बी० के बिना किया गया भुगतान रु० 179036.00 अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-9

ग्राम पंचायत- कुडियाल गांव, विकास क्षेत्र-चम्बा, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना पुष्टि प्रमाण पत्र व व्यय प्रमाणकों के हरियाली कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री क्रय पर रु० 27066.00 व्यय दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5

2- दो अलग-2 मस्टररोलों पर एक ही व्यक्ति को एक ही अवधि में दो बार भुगतान कर रु० 812.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-6

3- श्रमिकों से मस्टररोल पर हस्ताक्षर कराये बिना रु० 11948.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

विविध अनियमितताऐं:-

4- हरियाली कार्यक्रय के अन्तर्गत बिना स्वीकृति के जलपान व्यय पर भुगतान रु० 1900.00 किया जाना अनियमित रहा।

भाग (ब) प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत- डंडासली, विकास क्षेत्र-चम्बा, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरण

1- बैंक से आहरित धनराशि रु० 4000.00 कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत-कोटि महरुकी, विकास क्षेत्र-थौलधर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- रसीद प्राप्त किये बिना छात्रवृत्ति का भुगतान कर रु० 1920.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- सक्षम समिति की स्वीकृति व उद्देश्य के बिना रेत बजरी क्रय कर रु० 4500.00 का अनियमित भुगतान किया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

3- निर्माण समिति के प्रस्ताव बिना सम्पर्क मार्ग व खडेण्जा निर्माण कार्य पर रु० 200156.00 का व्यय अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3, 4, 7, 8

ग्राम पंचायत-मजरुवाल गांव, विकास क्षेत्र- थौलधर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- बिना प्रस्ताव व निर्दिष्ट स्थान के योजना का निर्माण कार्य पर रु० 16613.00 का अनियमित भुगतान किया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत- डौंण गुसाई, विकास क्षेत्र-थौलधर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बैंक से अनधिकृत रुप से आहरण करके फर्जी व्यय कोषबही में दर्शित कर रु० 5000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत:- गैर नगुड, विकास क्षेत्र-थौलधर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 व 2004-05 तक)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- बिना स्थान व नाम के सर्म्पक मार्ग निर्माण पर रु० 10208.00 व्यय भुगतान प्रशासकीय कार्यकाल में किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-2

2- बिना स्थान व नाम तथा बिना स्वीकृति के सी०सी०खडेण्जा का भुगतान रु० 39144.00 किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-3

3- दुकानदार की कैश मीमो पर क्रय सामग्री का विवरण अंकित कराये बिना रु० 62954.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-6

ग्राम पंचायत- लवाणी, विकास क्षेत्र-थौलधर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- क्रय प्रमाणक व प्रस्ताव के बिना फलदार पेड क्रय दर्शाकर रु० 5000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5

2- बिना प्रमाणक छात्रवृत्ति का भुगतान रु० 8400.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-1

अधिक/अनियमित भुगतान:-

3- खाद्यान कूपन निर्गत किये बिना मस्टर रोल में फर्जी खाद्यान वितरण रु० 22878.00 किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर- 2

4- बिना स्थान व प्रस्ताव के खडेण्जा निर्माण कार्य दर्शित कर रु० 62018.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत- कौशल, विकास क्षेत्र-थौलधर, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- मस्टर रोल पर श्रमिकों से बिना हस्ताक्षर प्राप्त किये भुगतान रु० 10962.00 का कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-9

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- समुचित प्रस्ताव व निर्दिष्ट स्थान के योजनाओं पर कार्य दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन रु० 108478.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-2 से 5

3- कटान के नाम से फर्जी व्यय दर्शाकर पंचायत धन रु० 2668.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-6

4- समायोजन पत्रावली के बिना रु० 10000.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-8

5- बिना प्रस्ताव एवं खाद्यान कूपन निर्गमन के सम्पर्क मार्गो पर अनर्गल व्यय रु० 66642.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर-7

विविध अनियमिततायें:-

6- वी०पी०प्रपत्र नियम विरुद्ध छपवाकर रु० 1995.00 भुगतान किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर-11

7- नियम विरुद्ध रेत बजरी क्रय कर रु० 41858.00 का अनियमित भुगतान किया।

भाग (ब) प्रस्तर- 13

ग्राम पंचायत-अलेरु, विकास क्षेत्र-थौलधार, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- मस्टर रोल पर नाम व भुगतान स्वरुप हस्ताक्षर कराये बिना रु० 1624.00 का भुगतान कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- बिना प्रस्ताव के सम्पर्क मार्ग निर्माण में व्यय रु० 35264.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3

3- बिना प्रस्ताव एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के रु० 38718.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत- विरगडी, विकास क्षेत्र-थौलधार, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बैंक से रु० 28380.00 आहरण कर फर्जी योजना पर व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- आवास निर्माण हेतु नियम विरुद्ध भुगतान रु० 17109.00 किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत- कस्तल, विकास क्षेत्र-थौलधार, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण-

1- दो पृथक प्रथक योजनाओं में श्रमिकों को एक ही अवधि में कार्यरत दर्शाकर रु० 27086.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- बिना सक्षम समिति की स्वीकृति के सम्पर्क मार्ग निर्माण से पूर्व रु० 27980.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-2

3- बिना स्थान व प्रस्ताव के सी०सी० निर्माण पर कार्य दर्शाकर रु० 83148.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3

4- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सीमेन्ट क्रय रु० 32114.00 का उपभोग व भुगतान दर्शाया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत-मजखेत, विकास क्षेत्र- थौलधार, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- छात्रवृत्ति भुगतान प्राप्ति स्वरुप हस्ताक्षर लिए बिना रु० 1800.00 का भुगतान दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- पत्रावली में निर्माण कार्य योजनाओं का प्रस्ताव, इस्टीमेट, एम०बी० स्थलीय-नाम दिये बिना रु० 69141.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3, 4, 5

ग्राम पंचायत- डांगतल्ला, विकास क्षेत्र-थौलधार, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- सक्षम समिति की स्वीकृति के बिना बैंक से अनधिकृत रुप से रु० 27740.00 का आहरण किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-2

2- सक्षम समिति की स्वीकृति के बिना बेमौसम में रु० 5000.00 के फलदार पेड क्रय कर उपभोग किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3

ग्राम पंचायत- धरवालगांव, विकास क्षेत्र-थौलधार, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2004-05)

व्यपहरण:-

1- एक ही माह की दो योजनाओं में श्रमिकों को कार्यरत दर्शाकर रु० 6960.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-8

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- सक्षम समिति की स्वीकृति के बिना बेमौसम में रु० 6000.00 के फ़लदार पेड क्रय कर उपभोग किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-4

3- पत्रावली में निर्माण कार्य योजनाओं का प्रस्ताव, इस्टीमेन्ट, एम०बी० स्थलीय-नाम दिये बिना रु० 33460.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-5

4- खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त धनराशि से रु० 2981.00 अधिक व्यय किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-6

ग्राम पंचायत- भण्डार्की, विकास क्षेत्र-थौलधार, जनपद टिहरी गढवाल (वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- खाली मस्टर रोल के आधार पर रु० 65969.00 का भुगतान कोषबही में दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-3

विविध अनियमितता:-

2- खाद्यान वितरण रु० 44022.00 की पुष्टि में खाद्यान कूपन उपलब्ध न कराया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-2

3- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त रु० 43817.00 की सामग्री क्रय किया जाना अनियमित रहा।

भाग (ब) प्रस्तर-5

ग्राम पंचायत- डखयाडुगांव, विकास क्षेत्र- नोगांव, जनपद उत्तरकाशी (वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना प्रमाणक के भुगतान रु० 910.00 कैश बुक में कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-8

अधिक/अनियमित भुगतानः-

2- सुरक्षा चौकीदार को अनुदान राशि का सक्षम समिति से स्वीकृति लिये बिना रु० 15400.00 का भुगतान किया अनियिमत था।

भाग (अ) प्रस्तर-7

विविध अनियमितायेंः-

3- बिना कोटेशन प्राप्त किये रु० 11100.00 की सामग्री अनियमित रुप से क्रय की गई।

भाग (ब) प्रस्तर-6

4- क्रय सामग्री रु० 575.00 की स्टाक पंजिका में प्रविष्टि न करने की अनियमितता की गयी।

भाग (ब) प्रस्तर-9

5- निर्बल वर्ग आवास के निर्माण पर व्यय रु० 43000.00 के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र न रखे जाने की अनियमितता की गयी।

भाग (ब) प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत-कन्डाऊ, विकास क्षेत्र-नोगांव, जनपद उत्तरकाशी (वर्ष 2004-05 तक)

व्यपहरणः-

1- दो योजनाओं के मस्ट्ररोल पर एक ही अवधि में एक ही नाम के श्रमिकों की हाजिरी अंकित करके रु० 11368.00 का भुगतान कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-8

2- बिना प्रमाणक के कैश बुक में व्यय दर्शित कर रु० 18997.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10

अधिक/अनियमित भुगतानः-

3- बिना प्रस्ताव एवं खाद्यान कूपन निर्गमन के सर्म्पक मार्गो पर व्यय रु० 32803.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

विविध अनियमितताः-

4- बिना कोटेशन प्राप्त किये रु० 36248.00 की सामग्री अनियमित रुप से क्रय की गई।

भाग (ब) प्रस्तर-4

ग्राम पंचायत-बगसारी, विकास क्षेत्र-डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- पंचायत कर की वसूली रु० 615.00 कैश बुक में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-6

2- मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर अंकित कराये बिना रु० 10252.00 का भुगतान कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-16

अधिक/अनियमित भुगतान:-

3- मस्टररोल पर कार्यरत श्रमिकों के नाम व दिवस अंकित किये बिना ही रु० 5974.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-2

4- समुचित प्रमाणकों के बिना रु० 73951.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-4

5- तकनीकी माप के बिना रु० 3968.00 निर्माण कार्य का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-15

ग्राम पंचायत-भूटाणू विकास क्षेत्र-मोरी, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बैंक से आहरित धनराशि रु० 307831.00 के उपभोग की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

ग्राम पंचायत-बडली, विकास क्षेत्र-चिन्याली सौड, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणकों के कोषबही में रु० 30678.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-8

अधिक/अनियमित भुगतानः-

2- पंचायत भवन न होने पर भी उसकी मरम्मत दिखाकर रु० 23455.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर-3

3- निर्बल वर्ग आवास हेतु रु० 8000.00 का चैक से भुगतान न कर नकद भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-9

4- खाद्यान वितरण रु० 10446.00 की पुष्टि में खाद्यान कूपन उपलब्ध न कराया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-21

ग्राम पंचायत-दिचली, विकास क्षेत्र-चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी (वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक)

अधिक/अनियमित भुगतानः-

1- श्रमिकों को रु० 71179.00 का खाद्यान वितरण की पुष्टि में कूपन जारी न किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-2 से 4 व 6

आर्थिक क्षतिः-

2- छात्रवृति वितरण का अनियमित रुप से वितरण किये जाने से रु० 838.00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर-9

3- प्राप्त अनुदान का स्टेशनरी पर व्यय रु० 11085.00 किये जाने से ग्राम पंचायत को आर्थिक क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर-8

विविध अनियमितताः-

1- निर्बल वर्ग आवास का चैक रु० 11000.00 का सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अपने नाम काट कर अनियिमतता की गई है।

भाग (ब) प्रस्तर-7

ग्राम पंचायत- बणगॉव, विकास क्षेत्र-चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी (वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बैंक से आहरित धनराशि रु० 2100.00 का लेखा कैश बुक में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-2

2- मस्टररोल पर मजदूरी श्रमिकों को बिना भुगतान किये कैश बुक में कोषांकित कर रु० 522.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

3- बिना व्यय प्रमाणकों के कैश बुक में रु० 341412.00 का भुगतान कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5 से 10

ग्राम पंचायत-रमोली, विकास क्षेत्र-चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी (वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- नकद रोकड शेष रु० 1080.00 को चार्ज में न देकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-4

2- बिना प्रमाणक के नहर मरम्मत पर व्यय रु0 6960.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-5

3- मस्टररोल पर मजदूरी श्रमिकों को बिना भुगतान किये कैश बुक में कोषांकित कर रु० 1044.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-7

अधिक/अनियमित भुगतान:-

4- निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही रु० 42290.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर-6 से 17

ग्राम पंचायत-सालू, विकास क्षेत्र-भटवाडी, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणक रु० 15641.00 कैश बुक में कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-12 से 13

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- निर्धारित मजदूरी की दर से अधिक दर पर मजदूरी रु० 3641.00 का भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

भाग (अ) प्रस्तर-9 (I, II)

ग्राम पंचायत- सिरोर, विकास क्षेत्र-भटवाडी, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना प्रमाणकों के कैश बुक में रु० 12840.00 व्यय कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10

ग्राम पंचायत- सालग, विकास क्षेत्र- भटवाडी, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक)

व्यपहरण :-

1- पी०सी० खडेञ्जा निर्माण पर फर्जी व्यय रु० 41646.00 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-12

2- बिना प्रमाणकों के कैश बुक में रु० 9575.00 व्यय कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-11

ग्राम पंचायत- बगोरी- विकास क्षेत्र-भटवाडी, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना प्रमाणकों के कैश बुक में निर्माण कार्यो व अन्य कार्यो पर व्यय रु० 309743.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-10, 11

ग्राम पंचायत- उत्तरों, विकास क्षेत्र-भटवाडी, जनपद उत्तरकाशी
(वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- बिना प्रमाणकों के कैश बुक में निर्माण कार्यो व अन्य कार्यो पर व्यय रु० 36374.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर- 13, 16, 17. 20 , 21,

ग्राम पंचायत- जुनेर, विकास क्षेत्र-नारायणबगड, जनपद चमोली
(वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक)

व्यपहरण:-

1- स्नानघर घुलेट पर दो बार भुगतान दिखाकर रु० 5380.00 की धनराशि का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-13

2- प्राथमिक विद्यालय जुनेर के अतिरिक्त कक्ष पर बिना प्रमाणकों के व्यय रु० 1419.70 दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-8

3- प्राकलन एवं एम०बी० से अधिक सीमेन्ट क्रय का व्यय रु० 6000.00 कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर-9

परिशिष्ट 'क'

(भाग-(1)-(आख्या प्रस्तर 3,1 में सन्दर्भित)

क्र0 सं0	संस्था की श्रेणी	संस्थाओं की संख्या
1	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी नैनीताल	01
2	उत्तरांचल कोआपरेटिव फैडरेशन लि0 प्रेमनगर, देहरादून	01
3	उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0	01
4	जिला सहकारी बैंक लि0	10
5	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	08
6	जिला सहकारी विकास संघ लि0	10
7	जिला भेषज विकास संघ लि0	12
8	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	06
9	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	31
10	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
11	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
12	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	753
13	कृषि सहकारी समितियां	04
14	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
15	प्राईमरी सहकारी समितियां	01
16	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	390
17	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
18	सहकारी दुग्ध समितियां	1012
19	सहकारी चीनी मिले	04
20	सहकारी गन्ना समितियां	12
21	सहकारी आवास संघ/समितियां	60
22	बुनकर/खादी/रेशम/उघोग सहकारी समितियां	149
23	सहकारी मत्स्य समितियां	5
24	जिला पंचायतें	13
25	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	21
26	क्षेत्र पंचायत	95
27	पंचायत उघोग	43
28	ग्राम पंचायतें	7219
	योग-	**9940**

परिशिष्ट 'ख'

(आख्या प्रस्तर -3-2- में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एवं उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियमः-

1-जिला सहकारी बैंकः-

(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949
(2) उत्तरंचल सहकारिता अधिनियत 2003 एवं नियमावली 2004
(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली
(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934
(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972
(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965
(8) निगोशियेवल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881

2- सहकारी संस्थायेंः-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2002/नियमावली 2004
(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) आयकर अधिनियम 1987/नियमावली
(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3- दुग्ध/उद्योग संस्थायेंः-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003/नियमावली 2004
(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम
(5) बिक्रीकर अधिनियम 1948/नियमावली
(6) सैन्ट्ल लेवर एक्ट 1970
(7) कारखाना अधिनियम 1948
(8) वर्क्स कम्पन्सेशन एक्ट

(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1936

4- गन्ना समितियां:-

(1) उ0 प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद अधिनियम

(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

5- मत्स्य समितियां:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6- पंचायत संस्थायें:-

(1) उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947/नियमावली/उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश 2005

(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली

(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां:-

1-	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पांच व छः	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
2-	बजट मैनूअल	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
3-	समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेश	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
4-	मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
5-	उपविधियां/सेवा नियमावलियां	सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू

परिशिष्ट 'ग'

(आख्या प्रस्तर -5-2- में सन्दर्भित)

आडिट 5471/दस-300(8)/74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 17, 1977

विषयः- सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारो का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0-1953/दस-3000(8)/53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0-300/दस-3000(8)/53 दिनांक 16-4-70 का आशिंक संशोंधन करते हुए राज्यपाल महोदय, सरकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:-

(1)- शीर्षस्थ समितियां जेसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एवं मिल्क बोर्ड कानपुर, मिल्क यूनियन लखनऊ, चीनी मिल, सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें, जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड रूपये से अधिक है, लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)- प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा:-

क्र0 सं0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारणा का आधार	दर
क-	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष की 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ख-	उत्पादन संग्रह, क्रय विक्रय एवं उघोग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ग-	समितियां जिनका प्रभाव उददेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3)- विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

क्र0 सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओं की गणना प्रक्रिया
1-	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक		
क	50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	10,000-00	
ख	50 लाख रू0 से अधिक एक करोड रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	20,000-00	
ग	एक करोड रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	50,000-00	
2-	नगर बैंग/प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000-00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशली पूंजी के लिए रू0 200-00
3-	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2(क) में उल्लिखित उन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:-		
क	एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	500-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर के लिए रू0 500-00
ख	एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	1,000-00	
ग	दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	2,000-00	
घ	चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	3,000-00	
4-	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000-00	
5-	जिला सहकारी संघ	10,000-00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000-00
6-	सहकारी दुग्ध संघ	5,000-00	
7-	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 150-00
8-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	2,000-00	
9-	नया बाजार	3,000-00	
10-	उघोग समितियां	2,500-00	प्रत्येक रू0 25,000-00 की बिक्री के लिए रू0 50-00
11-	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नहीं निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा	2,000-00	प्रत्येक 5लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000-00 रू0

	परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नहीं है।		
12-	गन्ना संघ एवं समितियां	20,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500-00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100-00 रू0) से अथवा रू0 500-00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

(2)- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय

(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)

उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस-300 (8)/74

परिशिष्ट- 'घ'

(प्रस्तर 3 - 1 में सन्दर्भित)

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची-

क्र0 सं0	जिले का नाम जहां जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1-	उत्तरकाशी
2-	चमोली
3-	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4-	देहरादून
5-	पौडी गढवाल
6-	हरिद्वार
7-	रूद्रप्रयाग
8-	अल्मोडा
9-	पिथौरागढ
10-	नैनीताल
11-	उधमसिंह नगर
12-	बागेश्वर
13-	चम्पावत

परिशिष्ट- ''घ-1'' (प्रस्तर 3-1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय:-

1-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी, नैनीताल।	01
2-	उत्तराखण्ड रेशम कोआपरेटित फैडरेशन लि० प्रेमनगर, देहरादून।	01
3-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि० देहरादून।	01
4-	किसा सहकारी चीनी मिल्स लि० बाजपुर, उधमसिंह नगर।	01
5-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० गदरपुर, उधमसिंह नगर।	01
6-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नादेही, उधमसिंह नगर।	01
7-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सितारंगज उधमसिंह नगर।	01
8-	जिला सहकारी बैंक लि० नैनीताल हल्द्वानी।	01
	योग	**08**

जिला सहकारी बैंक लि0:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ	2005-06	1494419.00	846877.00	129766.00	-	-	2471062.00
2	जिला चमोली सहकारी बैंक लि0 गोपेश्वर	2005-06	78923.00	317759.39	7604.00	-	-	404286.39
3	जिला सहकारी बैंक लि0, हरिद्वार (रूडकी)	2005-06	72000.00	0	0	-	1112000.00	1184000.00
	योग:-	-	**1645342.00**	**1164636.39**	**137370.00**	-	**1112000.00**	**4059348.39**

अरबन कोआपरेटिव बैंक

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	1-उत्तरांखण्ड कोआपरेटिव बैंक लि0, ऋषिकेश, देहरादून	2005-06	403147.00	2725150.00	-	2178.00	1440861.00	4571336.00
	योग:-	-	**403147.00**	**2725150.00**	-	**2178.00**	**1440861.00**	**4571336.00**

जिला भेषज विकास एवं क्रय विक्रय सहकारी संघ :-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	जिला भेषज विकास एवं क्रय विक्रय सहकारी संघ चम्पावत	2000-01 से 2004-05	-	-	-	1742.00	-	1742.00
	योग:-	-	-	-	-	**1742.00**	-	**1742.00**

जिला सहकारी विकास संघ:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी विकास संघ लि0 हरिद्वार	2003-04	-	163206.83	253547.00	-	-	416753.83
2	यातायात और पर्यटन विकास सह0 संघ लि0 मुनि की रेती	2004-05	16146.00	-	-	-	58360.00	74506.00
	योग:-	-	**16146.00**	**163206.83**	**253547.00**	-	**58360.00**	**491259.83**

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	सहिया दीर्घाकार बहु० सहकारी समिति लि०, देहरादून	2003-04 से 2004-05	2642.00	104152.00	13384.00	0	0	120178.00
2	काण्डोई भरम दीर्घाकार बहु० सहकारी समिति लि०, देहरादून	2005-06	9000.00	0	0	0	340000.00	349000.00
3	किसान सेवा सहकारी समिति लि० होरावाला, जनपद-देहरादून	2005-06	341408.50	0	0	0	0	341408.50
4	किसान सेवा सहकारी समिति लि० निरंजनपुर, जनपद-हरिद्वार	2001-02 से 2004-05	130000.00	11628.00	125784.00	0	365552.00	632964.00
5	मोहनावाला साधन सहकारी समिति लि० जनपद:- हरिद्वार	2003-04	106165.35	0	0	0	19446.80	125612.15
6	बादशाह पुर किसान सेवा सहकारी समिति लि० जनपद हरिद्वार।	2003-04 से 2004-05	37568.00	0	0	2929.00	0	40497.00
7	कुवाली साधन सहकारी समिति लि० जनपद अल्मोडा	2004-05	1943.00	0	737.00	0	106212.70	108892.70
8	देवलीखान साधन सहकारी समिति जनपद अल्मोडा	2003-04 से 2004-05	49982.00	0	0	0	0	49982.00

9	साधन सहकारी समिति लि० शहरफाटक जनपद- अल्मोडा	2004-05 से 2005-06	10785.00	0	0	0	0	10785.00
10	साधन सहकारी समिति लि० असेड सिमली वि० क्षेत्र- थराली जनपद-चमोली	1988-89 से 2004-05	10604.40	48236.00	0	0	0	58840.40
11	नोगांव दीर्घाकार बहुउददेश्य सहकारी समिति लि० वि०क्षे०- नोगांव, उत्तरकाशी।	2004-05	28243.00	226214.00	0	0	0	254457.00
12	रामासिराई दीर्घाकार बहुउददेश्य सहकारी समिति लि० विकास क्षेत्र- पुरोला जनपद उत्तरकाशी	2004-05	108930.00	3287.00	0	0	413931.00	526148.00
-	**योग**	-	837271.25	393517.00	139905.00	2929.00	1245142.50	2618764.75

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	चमोली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० सिमली।	1995-96 से 2004-05	793028.12	477277.00	19243.80	0	334966.35	1624515.27
	उत्तरकाशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० मातली।	1991-92 से 2002-03	2722361.00	2714339.33	6166401.80	69690.20	0	11672792.33
	पिथौरागढ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०।	2004-05	59908.50	42754.00	311291.45	0	0	413953.95
-	**योग**	-	3575297.62	3234370.33	6496937.05	69690.20	334966.35	13711261.55

सहकारी गन्ना समितियां:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1-	सहकारी गन्ना विकास समिति लि० इकवालपुर जनपद- हरिद्वार	1995-96 से 1997-98	148947.82	-	0	-	2139343.04	2288290.86
-	योग:-	-	148947.82	-	0	-	2139343.04	2288290.86

ग्राम पंचायतें:-

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	ग्रामपंचायत - सेवलाकलां जनपद- देहरादून।	2004-05	0	604202.00	0	0	0	604202.00
2	ग्राम पंचायत- कफलना, जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	20170.00	0	0	0	0	20170.00
3	ग्राम पंचायत- सारकेणा जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	10000.00	0	0	0	0	10000.00
4	ग्राम पंचायत- गवाणा जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	5500.00	0	0	0	200492.00	205992.00
5	ग्राम पंचायत- थातीडागर जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	25013.00	0	0	0	0	25013.00
6	ग्राम पंचायत- बैजवाडी जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	11170.00	0	0	0	0	11170.00

7	ग्राम पंचायत- कुण्डी जिला-टिहरी गढवाल	2002-03, से 2004-05	110900.00	0	0	0	34800.00	145700.00
8	ग्राम पंचायत- बीनाखाल जिला-टिहरी गढवाल	2002-03से 2004-05	274100.00	0	0	0	18555.00	292655.00
9	ग्राम पंचायत- गिवाली जिला-टिहरी गढवाल	2002-03से 2004-05	54000.00	0	0	0	0	54000.00
10	ग्राम पंचायत- तोली जिला-टिहरी गढवाल	2002-03से 2004-05	108900.00	0	0	0	672452.00	781352.00
11	ग्राम पंचायत- सौला जिला-टिहरी गढवाल	2001-02 से 2004-05	366914.00	0	0	0	0	366914.00
12	ग्राम पंचायत- पलाम जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	52930.00	0	0	0	195436.00	248366.00
13	ग्राम पंचायत- कुडियाल गांव जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	39826.00	0	0	0	1900.00	41726.00
14	ग्राम पंचायत- डंडासली जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	4000.00	0	0	0	0	4000.00
15	ग्राम पंचायत- कोटि महरुकी जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	1920.00	204656.00	0	0	0	206576.00
16	ग्राम पंचायत- मजरुवाल गांव जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	0	16613.00	0	0	0	16613.00
17	ग्राम पंचायत- डौंण गुसाई जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	5000.00	0	0	0	0	5000.00
18	ग्राम पंचायत- गैर नगुड जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	0	112306.00	0	0	0	112306.00

19	ग्राम पंचायत- लवाणी जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	13400.00	84896.00	0	0	0	98296.00
20	ग्राम पंचायत- कौशल जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	10962.00	187788.00	0	0	43853.00	242603.00
21	ग्राम पंचायत- अलेरु जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	1624.00	73982.00	0	0	0	75606.00
22	ग्राम पंचायत- विरगडी जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	28380.00	17109.00	0	0	0	45489.00
23	ग्राम पंचायत- कस्तल जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	27086.00	143242.00	0	0	0	170328.00
24	ग्राम पंचायत- मजखेत जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	1800.00	69141.00	0	0	0	70941.00
25	ग्राम पंचायत- डांगतल्ला जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	0	32740.00	0	0	0	32740.00
26	ग्राम पंचायत- धरवालगांव जिला-टिहरी गढवाल	2004-05	6960.00	42441.00	0	0	0	49401.00
27	ग्राम पंचायत- भण्डार्की जिला-टिहरी गढवाल	2003-04 से 2004-05	65969.00	0	0	0	87839.00	153808.00
28	ग्राम पंचायत- डखयाडुगांव जिला- उत्तरकाशी	2001-02 से 2004-05	910.00	15400.00	0	0	54675.00	70985.00
29	ग्राम पंचायत- कन्डाऊ जिला- उत्तरकाशी	2004-05	30365.00	32803.00	0	0	36248.00	99416.00
30	ग्राम पंचायत- बगसारी जिला- उत्तरकाशी	2001-02 से 2004-05	10867.00	83893.00	0	0	0	94760.00

31	ग्राम पंचायत- भूटाणू जिला- उत्तरकाशी	2001-02 से 2004-05	307831.00	0	0	0	0	307831.00
32	ग्राम पंचायत- बडली जिला- उत्तरकाशी	2001-02 से 2004-05	30678.00	41901.00	0	0	0	72579.00
33	ग्राम पंचायत- दिचली जिला- उत्तरकाशी	2002-03 से 2004-05	0	71179.00	11923.00	0	11000.00	94102.00
34	ग्राम पंचायत- बणगॉव जिला- उत्तरकाशी	2001-02 से 2004-05	344034.00	0	0	0	0	344034.00
35	ग्राम पंचायत- रमोली जिला- उत्तरकाशी	2001-02 से 2004-05	9084.00	42290.00	0	0	0	51374.00
36	ग्राम पंचायत- सालू जिला- उत्तरकाशी	2000-01 से 2004-05	15641.00	3641.00	0	0	0	19282.00
37	ग्राम पंचायत- सिरोर जिला- उत्तरकाशी	2000-01 से 2004-05	12840.00	0	0	0	0	12840.00
38	ग्राम पंचायत- सालग जिला- उत्तरकाशी	2000-01 से 2004-05	51221.00	0	0	0	0	51221.00
39	ग्राम पंचायत- बगोरी जिला- उत्तरकाशी	2001-02 से 2004-05	309743.00	0	0	0	0	309743.00
40	ग्राम पंचायत- उत्तरों जिला- उत्तरकाशी	2002-03 से 2004-05	36374.00	0	0	0	0	36374.00
41	ग्राम पंचायत- जुनेर जिला- चमोली	2002-03 से 2004-05	12799.70	0	0	0	0	12799.70
-	योग:-	-	2418911.70	1880223.00	11923.00	0	1357250.00	5668307.70

संकलन:-

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में वित्तीय अनियमित्ताओं सम्बंधी संकलित कुल धनराशि

वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु

क्र0 सं0	नाम	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी बैंक लि0	1645342.00	1164636.39	137370.00	0	1112000.00	4059348.39
2	अरबन कोआपरेटिव बैंक	403147.00	2725150.00	0	2178.00	1440861.00	4571336.00
3	जिला भेषज विकास एवं क्रय विक्रय सहकारी संघ	0	0	0	1742.00	0	1742.00
4	जिला सहकारी विकास संघ	16146.00	163206.83	253547.00	0	58360.00	491259.83
5	किसान सेवा सहकारी / दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	837271.25	393517.00	139905.00	2929.00	1245142.50	2618764.75
6	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ / समितियां	3575297.62	3234370.33	6496937.05	69690.20	334966.35	13711261.55
7	सहकारी गन्ना समितियां	148947.82	0	0	0	2139343.04	2288290.86
8	ग्राम पंचायतें	2418911.70	1880223.00	11923.00	0	1357250.00	5668307.70
-	योग	9045063.39	9561103.55	7039682..05	76539.20	7687922.89	33410311.08

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 3 नि0को0वि0से0/548–15–11–2007–400 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।